बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

भाग–2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित

शुक्रवार, तिथि 24 अगस्त, 1984 ई० ।

विषय-सूची पृष्ठ

कार्यस्थगन की सूचना .. .. 1—4
मुंगेर जिला में हरिजनों पर भू-पतियों का आंतक ..

शून्यकाल की चर्चाएँ : 5—11
(क) मनोनयन के खिलाफ प्रदर्शन .. .. ..
(ख) महानन्दा नदी पर पुल की मरम्मतो .. ..
(ग) प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों की परीक्षा .. ..
(घ) सड़क का पक्कीकरण .. .. ..
(ङ) कार्यपालक अभियंता पर कारंवाई .. ..
(च) पुल का निर्माण .. .. ..
(छ) गोदाम के अधिकारियों पर कारंवाई .. ..
(ज) स्वनियोजन का कार्यक्रम .. .. ..
(झ) शिक्षा अधीक्षक का स्थानान्तरण .. ..
(ञ) कटाव रोकने की व्यवस्था .. .. ..
(ट) ग्रामीण विद्युतीकरण .. .. ..
(ठ) बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को अनुदान .. .. ..
(ड) प्रशासनक व्यवस्था में सुधार .. .. ..

कटौती प्रस्ताव : राज्य सरकार के श्रम एवं रोजगार सम्बन्धी नीति पर विचार-विमर्श :

श्री तुलसी सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :
"इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटायी जाय।"
राज्य सरकार की श्रम और रोजगार संबंधी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिये ।
अध्यक्ष--इस पर भाषण आप दो बजे से कीजियेगा ।
सभा की बैठक 2 बजे अपराह्न तक के लिये स्थगित ।

(अन्तराल)

(उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री तुलसी सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो श्रम नियोजन विभाग का बजट पेश हुआ है उसमें जो मैंने कटौती का प्रस्ताव दिया है उसके पक्ष में बोलने के सबसे पहले मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि श्रम विभाग ने जो निति निर्धारण समितियां बनायी है उन समितियों की बैठक नहीं होती है । आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हर विभाग में कंसलटेटिव समिति बनायी गयी है । उसी तरह से श्रम विभाग में भी कंसलटेटिव समिति बनायी गयी है । समिति बनाये 4 साल हो गये लेकिन उसकी मात्र एक ही बैठक अभी तक हुई है । पहले जब राजाजी इसके मंत्री थे तो हमलोग समझते थे कि वे राजा है, श्रम सलाहकार समिति की बैठक क्यों होगी लेकिन अब तो देखो श्री मंत्री हैं तो भी इसकी बैठक क्यों नहीं हो रही है यह आश्चर्य की बात है । इसी तरह से जो इनका सेन्ट्रल एडभायजरी बोर्ड है जिसमें सभी मान्यता प्राप्त युनियन के प्रतिनिधि सदस्य है और सरकार के भी प्रतिनिधि उसमें है । उस समिति में राज्य के श्रम समस्याओं पर विचार-विमर्श होता है । उस संबंध में सुनिये, कि उसकी भी बैठक विगत 7 साल से नहीं हुई है । उपाध्यक्ष महोदय, जिस राज्य में श्रम निति और श्रम सुरक्षा पर विचार के लिये जो बोर्ड है उसकी बैठक नहीं होती है तो आप समझ सकते हैं कि उस राज्य में मजदूरों की क्या दुर्गति होगी । यही कारण है कि आज रोज रोज तालाबंदी हो रही है मिल बंद हो रहे हैं जिसको लेकर सदन में ध्यानाकर्षण आते हैं, प्रश्न आते हैं और काम रोको प्रस्ताव आते हैं । तो जिस राज्य की सरकार और जिस राज्य का श्रम विभाग इतना नालायक हो, भ्रष्ट हो, जो श्रम संबंधी नियमों का पालन नहीं कर सकती है उस राज्य में श्रमिकों के लिये क्या हो सकता है ? इसका परिणाम क्या हुआ ? यहां के बड़े-बड़े उद्योग बंद है । आप सभी जानते हैं कि उद्योग के नाम पर बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है, बिहार सबसे गरीब राज्य है। यहां का पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है, यहां के उद्योग धंधों की हालत खराब है । सबसे पहले आप देखें कि इनका जो एच० ई० सी० है, जो एक सरकारी प्रबंधन है उसके 17 हजार मजदूर हड़ताल पर हैं। वहां आजतक न तो मुख्य मंत्री जी गये हैं और न वहां श्रम मंत्री गये हैं। वहां आप जानते हैं कि 60 लाख प्रतिदिन सरकार का हड़ताल पर खर्च हो रहा है । वहां सरकार के जो युनियन हैं कांग्रेस के जो युनियन है वे नहीं चाहते हैं कि हड़ताल खत्म हो । इसके अलावा जितने भी युनियन है सभी जायज मांगों के लिये

गड़ रहे है लेकिन सरकार कान में तेल डालकर सोयी हुई है । ये मजदूरों का बकाया दो करोड़ नहीं देना चाहते हैं लेकिन 60 लाख रुपया प्रतिदिन हड़ताल पर खर्च करना चाहते है । इनका उत्पादन घटा और मजदूर बेकार है ही । इसी तरह से रोहतास उद्योग को देखें । रोहतास तो एक गरीब जिला है ही वहां का भी जो एक उद्योग रोहतास गृह उद्योग है वह भी बंद है, उसमें कार्यरत 35 हजार मजदूर बेकार हैं । वहां के कोलयरी का मजदूर जो पत्थर काटते हैं दस हजार बेकार हैं । डी० एस० आर० का तीन हजार मजदूर बेकार हैं । 1982 से ही इसकी हालत खराब है । कभी यह खुलती है कभी बंद होती है और इसी तरह से यहां के दूसरे उद्योग भी चल रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार जो है वह श्रम विरोधी है। यह सरकार मिल मालिकों का पक्षधर है । इसका प्रमाण है कि 1981-82 और 1982-83 से मजदूरों का एक करोड़ बीस लाख रुपया बोनस का बाकी है। सरकार से कहना है कि सरकार निर्णय लेकर उसको दिलवाये । वहां के मजदूरों का जून से 9 जुलाई का वेतन बकाया है वह भी दे । बंद होने के पहले जो सिमेंट, कागज, फायबर, डालडा और जो सामान उत्पादन हुए उसकी कीमत 22 करोड़ रुपया होता है जितने सामान गोदाम में बचे हुए है उसमें ढाई करोड़ का सामान बिक्री हो गया लेकिन मजदूरों के बकाया पैसा अभी तक नहीं मिला । इस सरकार को यह कहने का हक नहीं होगा कि सरकार मजदूर समर्थक है। इसका स्पष्ट मतलब है कि मुख्य मंत्री और श्रम मंत्री बड़े-बड़े उद्योगपतियों से, डालमियां से, सेठों से मिली हुई है और उसके मिली भगत से इस सरकार का काम चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो ध्यान सदन में दिया गया कि सरकार केन्द्र सरकार को लिखी है कि उस प्रबंधन को अपने हाथ में ले ले । उसके साथ ही यह भी कहा गया कि जितने भी वित्तीय संस्थान हैं सभी संस्थानों को आग्रह किया गया है वे संस्थानों को कर्ज दें जिससे कि मिल चालू हो जाय । दोनों एक साथ कैसे चल सकता है ।

एक कहावत है । एक केस हुआ दारोगा जी के यहां । एक कहता था कि नाली खोदने दें और दूसरा कहता था कि नाली नहीं खोदने दें । दोनों से दारोगा जी ने पैसा लिया और दारोगा जी ने लिख दिया कि "नाली रोक मत खोदने दें । एक कहता था कि लिखा हुआ है मेरे पक्ष में "नाली रोक मत, खोदने दें" और दूसरा कहता था मेरे पक्ष में दारोगा जी ने लिखा है कि नाली रोक, मत खोदने दे" । इस तरह दोनों कहते थे कि मेरे पक्ष में लिखा हुआ है। वही हालत आज इस सरकार के श्रम विभाग की है । यह सरकार मजदूरों से कहती है कि तुम्हारे पक्ष में काम कर रहें हैं और दूसरी तरफ सेठों से कहती है कि तुम्हारे पक्ष में काम कर रहें हैं । इस तरह यह सरकार किसी का काम नहीं कर रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, उसके अलावे मैं इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सिमेंट वेजेज बोर्ड की तरफ । सिमेंट वेजेज बोर्ड ने लिखा है कि मिनियम वेजेज 800 रुपये से 900 रुपये पड़ता है और वहीं पर जो पेपर और डालडा है उसका मिनिमम वेजेज 300 रुपये से 400 रुपये पड़ता है । एक ही जगह काम करनेवाले जो मजदूर हैं उनमें एक का मिनिमम वेजज दोगुना होगा और दूसर का आधा उसका होगा कैसे ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इसी सदन में कल ही बात उठा था की ओर दिलाना चाहता हूं । अशोक पेपर मिल बन्द है उसके 800 मजदूर बेकार हैं 1982 से मिल बन्द है, पूंजी नहीं है, दूसरे मंत्री कहते हैं, लुगदी नहीं है तीसरे मंत्री कहते हैं कि इसको 2 महीने में चलाने के लिये सरकार गंभीरता से विचार करेगी । सरकार विशुद्ध रूप से झुठ बोल रही है । जब पूंजी नहीं है, कच्चा माल नहीं है, लुगदी नहीं है तो सरकार किस बूते पर दो महीने में चलायेगी । उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार विशुद्ध रूप से झूठ की खेती कर रही है । मैं सरकार का जवाब इसपर चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावे मैं आपका ध्यान रोहतास जिले के कल्याणपुर सीमेंट फैक्टरी की ओर ले जाना चाहता हूं । वहां पर इसका कई खंड है जैसे एस० आई० सी० टुकड़ा आदि । ट्रक से जो सामान लाता है जैसे कोयला, लोहा, कच्चा माल आदि और जो सीमेंट ढोते हैं और केन्द्रीय सरकार का आदेश है कि उद्योग धंधे में ठीका मजदूरों को काम पर नहीं लगाया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, कल्याणपुर सीमेंट फैक्ट्री के मजदुरों का भयंकर शोषण हो रहा है । इस फैक्ट्री का एक अंग ए० आई० टी० है जिसमें सैंकड़ों ट्रक कार्यरत थे जो डिहरी और बनजारी का चूना कल्याणपुर के सीमेंट, चीप्स, कोयला आदि ढोते थे और उसमें चार सौ, पांच सौ मजदूर काम करते थे, लेकिन उसे प्रबंधन ने बेच दिया जिससे वे सभी मजदूर बेकार हो गये हैं । वे प्रबंधन प्राईवेट तौर पर माल की ढोलाई करवा रहे हैं । उक्त फैक्ट्री में काम करनेवाले मजदूरों को फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक वेज बोर्ड के निर्धारण के अनुसार वेतन मिलना चाहिये, यह नहीं मिल पा रहा है । चीप्स, कोयला लैटराइट आदि सामानों को उतारने चढ़ानेवाले मजदूरों,, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीकल, सिविल एवं सफाई कार्य में लगे मजदूरों को फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक मिलनेवाले गुड़, साबून, तेल वर्दी नहीं मिल रहा है उतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा कानून बना देने के बावजद भी कल्याणपुर सिमेंट फैक्ट्री के चिमनी में डस्ट कंट्रोलर नहीं लगाया गया है, जिसके चलते, वहां के मजदरों का स्वास्थ्य तो खराब हो ही रहा है, उन लोगों को अनेकों तरह की बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है, उसके साथ ही वहां के आसपास लोगों को हैजा, टी० वी० आदि भनायक रोगों का शिकार होना पड़ रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, कल्याणपुर सीमेंट फैक्ट्री में लगे तीन हजार मजदूर है, लेकिन उनके लिये या उनके बाल-बच्चों के लिये न तो अस्पताल है और न ही विद्यालय का कोई प्रबंध है न वहां कोई एम्बुलेंस गाड़ी की ही व्यवस्था है । उतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, कल्याणपुर सीमेंट सेल्स ब्राच में मजदूरों को बेज बोर्ड के सिफारिशों के मुताविक वेतन का भुगतान भी नहीं किया जाता है और वहां मजदूरों को मिनिमम बेजेज से भी कम मजदूरी मिलती है यानि महीने में ढाई सौ, तीन से अधिक नहीं मिलता है, वहां दूसरी फैक्ट्री में आठ सौ, नौ सौ रुपये मासिक वेतन मिलते हैं, मजदूरो को ।

उसी तरह दूसरा एक कोडियारी पदमकठवां लाइम स्टोन कम्पनी रोहतास प्रखंड में है जो चूना एवं सीमेंट पत्थर निकालती है, जिसकी स्थिति बहुत खराब है और मजदूरों को उचित वेतन आदि नहीं मिल रहे हैं।

उसी तरह कछग्रड कम्पनी जिसकी खदान है और वह चूना और सीमेंट का पत्थर निकालती है और वह कल्याणपुर बनजारी एवं अशोक सीमेंट फैक्ट्री डालमिया नगर को पत्थर सप्लाई करता था और उसे अपनी मशीन नहीं है। वे फैक्ट्री बन्द हो गये। फलस्वरुप पत्थर की आपूर्ति नहीं हो रही है और कछग्रड कम्पनी कोलधरी को बन्द कर दिया है, जिसमें 1400 सो लगे मजदूर बेकार हो गये हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि रोहतास प्रखंड यदुनाथपुर में जैसा कि गत वर्ष उद्योग मंत्री ने आश्वासन भी दिया था, एक सीमेंट फैक्ट्री खोलकर वहां के मजदूरों को राहत दिलाये।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—माननीय सदस्य को यदास्त है; इसके लिये हम धन्यवाद देते है और यद्यपि मैं उद्योग मंत्री नहीं हूं फिर आस्वत करता हूं कि माननीय सदस्य की मांग के अनुसार ही यदुनाथपुर में एक सीमेंट फैक्ट्री जल्द ही खोली जायेगी।

श्री तुलसी सिंह—कोडोयारी पदमकठवां लाइम स्टोन कम्पनी रोहतास प्रखंड में चूना एवं सीमेंट पत्थर निकालती है। इसके प्रोपराइटर श्री मो० इसमाइल अंसारी हैं। ये अपने मजदूरों को जिनमें गरीब एवं आदिवासी हैं मिनियम वेज से भी कम मजदूरी देते हैं और कोई रजिस्टर भी नहीं रखते हैं। कुछ काम कराकर भी, कभी काम से निकाल भी देते हैं और अपने लीज के बाहर गैर कानूनी ढंग से खनन का काम करते हैं। हाल ही में वन विभाग के पदाधिकारी ने रंगे हाथ पकड़ा था। इनके ट्रक पकड़ा गया था और एफ० आई० आर० लीज किया गया था लेकिन उसे भी दबाने का प्रयत्न चल रहा है और यह सरकार सोयी हुयी है। यह सरकार की लेबर नीति का जीता जागता उदाहरण है। इसमें एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि पत्थर टोड़ने के लिये जो डाइनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिये इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। ये बाजार से डाइनामाइट खरीद कर पत्थर तोड़वाते हैं। डाइनामाइट एक खतरनाक उपकरण है जिससे ये अवैध रूप से पत्थर तोड़ने के काम में इस्तेमाल करते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जबकि इनके पास लाइसेंस नहीं है, परमिट नहीं है, तो ये कैसे डाइनामाइट रखते हैं और पत्थर तोड़वाने का काम करते हैं। मेरा चार्ज है कि सरकार के मंत्री और कम्पनी के मालिक लाखों लाख कमाने के फेर में हैं और गलत काम करने पर तुले हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री महंथ महादेवानन्द गिरी रोहतास प्रखंड के केलवानाला के पास गैर कानूनी ढंग से बिना लीज के जिला खनन पदाधिकारी के मेल से चूना सीमेंट का पत्थर निकाल कर लाखों रुपये की सरकार की सम्पत्ति की लूट करते हैं। ये भी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से बहुत कम मजदूरी देते हैं। शायद लेबर डिपार्टमेंट

को पता नहीं है, लेबर मंत्री को पता नहीं, मुख्यमंत्री को पता नहीं है लेकिन उसके इस कारोबार से सरकार के रोयाल्टी का लाखों लाख रुपया नुकसान होता जा रहा है और सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है।

श्री मो० इलियास हुसैन—हुजूर, मैं सदन को बता दूं कि इतना ही नहीं श्री महादेवानन्द गिरी डेढ़ वर्षों में करीब दो करोड़ रुपये की बिहार की राशि अवैध रूप से पहाड़ कटवा कर हड़प ली है।

श्री तुलसी सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, हसनपुर सुगर मिल जो बिड़ला का मील है उसमें पन्द्रह साल से कार्यरत मजदूरों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि पांच रुपया रोज उन्हें मजदूरी दी जाती है। पता नहीं लेबर डिपार्टमेंट का कोर्ट कहां सोया हुआ है ?

कोयला यूनियन हजारीबाग के सचिव, श्री वैकुन्ठ नाथ डे ने पिछले साल रजिस्ट्रेशन का आवेदन श्रम विभाग में दिया था, लेकिन पता नहीं लेबर डिपार्टमेंट के किस फाइल में उनका आवेदन पड़ा हुआ है। लगता है यह खटाई में पड़ गया है। यही इफिशियेंसी है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से मैं इस विभाग के कितने कारनामों को गिनवाऊं ? सब में यही हाल है।

उपाध्यक्ष महोदत, अब मैं राज्य में नियोजन की क्या स्थिति है उसके बारे में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जो इस राज्य के हित में होगा। कितने लोग बेरोजगार हैं इसको मैं नटशेल में बताना चाहता हूं। 30 जुलाई, 1984 तक बेरोजगारों की क्या संख्या है उसको मैं बतला रहा हूं। कुल बेरोजगारों का संख्या 26 लाख 73 हजार 587 है। जिसमें शिक्षित बेरोजगार 14 लाख 99 हजार 103 हैं। इनमें मैट्रिक पास 9 लाख 55 हजार 293 हैं। मैट्रिक से स्नातक के बीच में 2 लाख 43 हजार 535 हैं और केवल स्नातक हैं 1 लाख 73 हजार 454। स्नातक इंजीनियर 1,077 हैं। ओवरसियर 13 हजार 675, डाक्टर 1,409, एम० ए० 3,810 आई० टी० आई० प्रशिक्षित 95 हजार 996 हैं, तथा अशिक्षित बेरोजगार 11 लाख 74 हजार 484 हैं। यह बेरोजगार लोगों की आंकड़ा है। इनका जो इम्पलायमेंट एक्सचेंज है वह बिना पैसा लिये कहीं भी नाम भेजता नहीं है। गांव का खेतीहर मजदूर वहां से पैसा देने के लिये इनके पास आयेगा कि मेरा नाम भेज दीजिये। ये सारे लोग गांव में रहने वाले हैं ये पैसा कहां से देंगे ? इस ओर मंत्री महोदया को विशेष रूप से ध्यान जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इनके श्रम विभाग में एडिशनल लेबर कमीश्नर का एक पद रांची में है। श्री बी० एन० शर्मा जो पहले इस पद पर बहाल थे उनके रिटायर होने पर श्री गोपाल प्रसाद, संयुक्त सचिव को प्रमोशन देकर एडिशनल लेबर कमीश्नर रांची का बनाया गया है। इनके बारे में विशेषता यह है कि उनका चपरासी घर पर ही खटता है और जीप पटना में चलती है। 11 अप्रील, 1984 को सभी श्रमायुक्त का स्थानान्तरण हुआ और सभी चले गये लेकिन श्री प्रसाद अभी तक पटना में ही बैठे हुये हैं। क्या कारण है इसको मंत्री महोदया अपने जवाब में बताने का कष्ट करेंगे। वे क्यों नहीं रांची जा रहे हैं ? उसी तरह से श्री ओंकारमल अग्रवाल, उप निबंधक, श्रमिक संघ नौ वर्षों से पटना में पदस्थापित हैं, इसमें 7 वर्षों से ये मुख्यालय में ही हैं। मार्च, 1983 में इनकी प्रोन्नति सहायक श्रमायुक्त, कृषि के पद पर हो गयी पर ये अभी तक पटना में बैठे हुये हैं। इनका एक केमिकल फैक्ट्री भी है जो बोरिंग रोड में चलता है। पटने में नौकरी करते हैं और केमिकल फैक्ट्री भी चलाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कितना गिनवाऊं ? राज्य के सरकारी कर्मचारी 4 सितम्बर से हड़ताल पर जा रहे हैं, सेवा संघ के लोग हड़ताल पर हैं, ग्रामीण बैंक के लोग हड़ताल पर हैं, प्रोफेसर लोग हड़ताल पर जानेवाले हैं, शिक्षक हड़ताल पर जा रहे हैं। जहां देखिये हड़ताल ही हड़ताल है चाहे वह इन्डस्ट्रीज हो या सरकारी कार्यालय हो, तालाबंदी और हड़ताल,। क्या जरूरत है लेबर डिपार्टमेंट की ? जब तालाबंदी और हड़ताल ही। हड़ताल रहेगी तो लेबर डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिये। इसलिये सदन के माननीय सदस्यों से चाहे वे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि ऐसी श्रम नीति चलानेवाली सरकार के लिये एक पैसा मंजूर नहीं करें और मेरे कटौती प्रस्ताव को पास करें।

श्री जय कुमार पालित—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री द्वारा प्रस्तुत 1984-85 के मांग के समर्थन मे बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी अभी हमारे विपक्ष के एक माननीय साथी एवं वरिष्ठ नेता श्री तुलसी सिंह जी ने कई बातें आपके माध्यम से सदन में रखी। मैं उनकी सभी बातों का जवाब देना नहीं चाहूंगा। उसके लिये माननीय मंत्री ही जवाब देंगी। मैं इतना जरूर कहूंगा, एक आध बातों की ओर इंगित करना चाहूंगा। श्री तुलसी सिंह ने अभी कहा है कि लेबर एडवाइजरी बोर्ड की या लेबर कन्सलटेटिव, विभागीय समिति की बैठक नहीं हुयी या गठन ही नहीं हुआ। मैं बताना चाहूंगा कि जब जनता पार्टी की सरकार थी उस समय से लेकर लगातार पिछले 9 वर्षों से लेबर डिपार्टमेंट की जो स्टैंडिंग कमिटी है उसका

गठन इनकी सरकार ने नहीं किया था लेकिन आज से 6 माह पूर्व उस समिति का गठन हमारी सरकार ने और वर्तमान मंत्री ने किया है और उसकी बैठक भी बुलायी गयी। लेकिन इधर चूंकि उनको सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से जेनेवा में एक सम्मेलन में जाना था इसलिये बैठक नहीं हो सकी। इसलिए मैंने इनकी जानकारी के लिये इन बातों को बताया। जहां तक औद्योगिक विवाद और श्रमिक क्षेत्र में जो अशांति की बात है वह है वह बार-बार रहकर उभरती है। उसमें सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है खासकर हमारी सरकार की, कांग्रेस (आई०) की सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और हमारी सरकार ने औद्योगिक शांति को, औद्योगिक स्थिति को को बरकरार रखा है, इन्डस्ट्रीयल पीस को मेन्टेन किया है। उसका विवरण मैं आपके सामने रखता हूं। 1983 में 698 विवाद उठाये गये थे जिसमें 251 लंबित थे। यानी कुल मिलाकर 949 विवाद होते हैं। जिसमें से 957 इन्डस्ट्रीयल डिसप्युट की सुनवायी हुयी और 572 विवादों में समझौता कराकर राज्य सरकार ने विवादों का निष्पादन किया। क्या यह इस बात का द्योतक नहीं है कि जहां विरोध पक्ष की ओर से विभिन्न डिफरेंट यूनियनों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न किये जाते रहे हैं, हड़ताल और तालाबन्दी की स्थिति उत्पन्न की जाती रही है जिसमें हमारी सरकार ने अहम भूमि अदा करके सारे विवादों को खत्म करके श्रमिक शांति स्थापित करने में सक्षम हो सकी है। मैं 1984 अप्रील तक का फिगर आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं।

मैं सदन में अप्रील 1984 तक का फीगर दे देना चाहता हूं। 177 नए विवाद आए इस तरह से कुल मिलाकर 456 विवाद हुए जिसमें से, 131 में श्रम विभाग द्वारा समझौता करा दिया गया है और 29 मामले लेबर ट्रिब्यूनल में भेज दिया गया है। अधिकतर हड़ताल या तालाबन्दी विरोध पक्ष द्वारा नियन्त्रित यूनियन द्वारा कराया जाता है। मुंगेर के सिगरेट फैक्टरी में जो हड़ताल हुई थी वह भी उन्हीं लोगों के कारण से हुआ था। श्रम विभाग उसका निष्पादन करता है। जहां-जहां तालाबन्दी होती है, हड़ताल होती है, उत्पादन में ह्रास होता है, मैनडेज का लौस होता है, राष्ट्रीय नुकसान होता है, उसमें राष्ट्रीय क्षतिहोती है और यह सब ज्यादातर वहीं होता है जहां यूनियन विरोध पक्ष के नियंत्रण में है। यहां हटिया की बात की जा रही है। यह भी विरोध पक्ष वालों के उपकाने पर ही हुआ है। इससे राष्ट्र की क्षति होती है। मैनडेज का नुकशान होता है। विरोध पक्ष के लोग कहते हैं कि सरकार की श्रम विरोधी नीति है लेकिन जहां भी औद्योगिक अशान्ति या इस तरह की

बात होती है उसमें विरोध पक्ष का ही हाथ रहता है। यह सही है कि इस तरह का काम राष्ट्र विरोध है। इन सब कामों में विरोध पक्ष को सहयोग करना चाहिए जिससे औद्योगिक शान्ति बनी रहे, राष्ट्रीय क्षति नहीं हो। सरकार भी चाहती है कि विरोध पक्ष का सहयोग औद्योगिक शान्ति बनाए रखने में मिले, लेकिन ये लोग सहयोग नहीं करते हैं। फिर भी सरकार के श्रम विभाग की मंशा रहती है कि ज्यादा-से-ज्यादा विवादों को समझौता कराकर हल कर दिया जाय। उदाहरण के लिए बरौनी को लें। इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन में जहां पहले वेतनमान 275 से 453 रु० का था उसको श्रम विभाग ने अपनी मिहनत से बदलवाकर 421 से 7 0 रु० तक का करवा दिया है। इस तरह से जितने भी केन्द्रीय सरकार के उपक्रम हैं, या राज्य सरकार के उपक्रम हैं या निजी उद्योग हैं सब जगह राज्य सरकार का प्रयत्न रहता है कि श्रमिक अशान्ति न उत्पन्न होने दें और यदि उत्पन्न हो जाय तो उसे समझौता करा दिया जाय। इसके लिए श्रम विभाग कृत संकल्प है। इसी तरह से टिस्को में भी राज्य सरकार ने समझौता कराकर वेतनमान बढ़वा दिया है। 450 रु० से 700 रु० का वेतनमान करवा दिया है जो पहले कम था। इसे माननीय सदस्य श्री दीनानाथ पाण्डे भी जानते हैं। सरकार की हमेशा यह चिन्ता रहती है कि मजदूरों को उचित मजदूरी मिला करे। एच० ई० सी० के बारे में हमारे माननीय सदस्य ने कहा है, मैं मानता हूँ कि यह जो हड़ताल चल रही है, इसमें काफी भायलेंस की स्थिति आ गई है और उस भायलेंस, उस डिसपुट के लिए, उस परेशानी के लिए विरोधी पक्ष के लोग जिम्मेवार हैं। मैं भी अपनी ओर से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ और सरकार भी इस बात के लिए कृतसंकल्प है, सारे लोग बैठक, समझौता वार्ता टेबुल पर बैठकर, कुछ समझौता हो, और जो मांग है, उस पर विचार किया जाय, लेकिन यदि कोई यूनियन इस बात पर उतर जायगी, पहल करके लाठी के जोर पर, गोली के जोर पर कुछ समझौता करना चाहे तो यह सरकार नहीं कर सकती है। मैं भी इसको नहीं मानता हूँ और सरकार भी इसको नहीं मानेगी।

श्री मो० इलियास हुसैन—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मेम्बर ने कहा कि सरकार श्रमिक के लिए बहुत उदार है, उदारता का "प्रत्यक्षम किम् प्रमाणम्।" जब सिंचाई, उद्योग, पी० डब्लू० डी० का बजट आता है तो बहुत सारे मंत्री ट्रेजरी बेंच पर नजर आते हैं। और आज जब श्रम विभाग का बजट है तो सिर्फ श्रीमती प्रभावती गुप्ता बैठी हुई हैं।

श्री रामचन्द्र पासवान—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मजदूरों ने मांग की और 500-700 रु० आपने कर दिया। ये अपना पीठ अपने आप ठोक रहे हैं, आप ही बताइये इस महंगाई में 700 रुपया देना उचित है ?

श्री जयकुमार पालित—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान बिहार राज्य में जो कृषक श्रमिक हैं, उनकी ओर ले जाना चाहता हूं। मैं बतलाना चाहूंगा कि इस बिहार राज्य में कृषक श्रमिकों की संख्या 75 लाख की है, इनका सीमित साधन है, इनके संगठन कमजोर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करूंगा और सदन से भी अनुरोध करुगा कि कृषक श्रमिक जिनकी संख्या 75 लाख की है, इनके कल्याण करने के लिए वित्तीय सहायता और अन्य सहायता मुहैय्या कराया जाय ताकि इनका संगठन बनाया जा सके और साथ ही साथ हमारे कृषक श्रमिक जो विभिन्न मुकदमों के सिलसिले में शहर या जिला मुख्यालय आते हैं, उनके श्रमिक कल्याण केन्द्र खोले जायं। उपाध्यक्ष महोदय, इनके संगठन को मजबूत करने हेतु केन्द्रीय सरकार से भी अनुरोध किया जाय और केन्द्र सरकार से भी इनके लिए सहायता मिलनी चाहिए। चूंकि राज्य सरकार को जो वित्तीय साधन उपलब्ध है उसके अन्तर्गत इतनी बड़ी संख्या जो कृषक श्रमिक की है, उनका कल्याण नहीं हो पाता है, इसलिए इस बजट के माध्यम से या अन्य श्रोत से उनके लिए राशि की बढ़ोतरी कराई जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सामाजिक सुरक्षा पेंशन की ओर ले जाना चाहता हूं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन—यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मुद्दा है इस पर हमारी सरकार की ओर से 58 करोड़ रुपया दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत बेसहारा लोगों, बूढ़ा-बूढ़ी, विकलांग जिनको कोई सहारा नहीं है, वैसे लोगों के लिए हमारी सरकार 58 करोड़ रुपया खर्च करती है। लेकिन विगत दिनों में ऐसा देखा गया है, यह बात सदन में भी आई थी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहद जिन लोगों को पेंशन मिलता था, इनमें से बहुत से जिन्यूईन केसेज को काट दिया जाता है। इसी संदर्भ में उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हू कि सरकार ने इस सम्बन्ध में सकुलर निकाला है, सरकार ने आदेश दिया है कि 2 प्रतिशत से भी ज्यादा यदि जिन्यूईन केसेज की रिपोर्ट है तो यदि कट भी गए हैं तो उसको रिस्टोर किया जाय। यह सरकार का 22 मार्च का सकुलर है, इसके अतिरिक्त 14 जुलाई 1984 का सकुलर मेरे हाथ में है, इस सकुलर में जिलाधिकारी और सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों को निर्देश दिया गया है " इस विभाग से समय-समय पर अयोग्य व्यक्तियों की छटनी प्रक्रिया में सावधानी बरतने के लिए आदेश भेजे गए हैं। सरकार की कदापि मंशा

नहीं है कि योग्य व्यक्तियों का पेंशन रद्द हो। जो नियमानुकूल अयोग्य व्यक्ति हैं उन्हीं का पेंशन रद्द किया जाए और अगर सभी अयोग्य व्यक्तियों के पेंशन रद्द करने के बाद पेंशनधारियों की संख्या जनसंख्या के 2 प्रतिशत से अधिक भी हो जाती है तो सरकार उनलोगों को भी पेंशन का भुगतान करेगी बशर्तें कि जिला पदाधिकारी सन्तुष्ट हों कि इसमें अयोग्य व्यक्ति नहीं रह गए हैं।"

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार इसको रिस्टोर कराये। माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सरकार के निर्देश के आलोक में विभिन्न जिलों की समीक्षा करायें, गया जिला में भी इसको समीक्षा करायें। सारे बिहार में जो सामाजिक सुरक्षा पेन्शन की कटौती की गयी है और इस सिलसिले में इनके विभाग से जो निर्देश निर्गत किये गये हैं उस सरकूलर के अन्तर्गत इसे रिसटोर करायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

श्री अकलू राम महतो—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी पक्ष के सदस्य श्री तुलसी सिंह ने श्रम एवं रोजगार विभाग की मांग पर जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, श्रम और रोजगार का इस बिहार सूबे में क्या कार्य-कलाप होना चाहिये? श्रम विभाग का कार्यकलाप मुख्यतः श्रमिकों को इकट्ठा कर लेबर मारकेट क्रिएट करना और जिस तरह लेबर का डिमाण्ड होगा उस तरह का रोजगार देना होगा और रोजगार में जाने के बाद, नौकरी में जाने के बाद उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना। उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस है कि बिहार सरकार मौजूदा स्थिति में श्रमिकों को हित को बचाने में बहुत असफल रही है। मैं तो उदाहरण देकर बतलाना चाहता था लेकिन आपके सामने भी समय की अवश्य कमी होगी। आज तो स्थिति है बिहार सूबे में, आज छोटानागपुर और संथाल परगना में जितने आदिवासी और हरिजन हैं वे अन्य सूबे में काम करने के लिये चले जा रहे हैं। छोटानागपुर और संथालपरगना में इतनी ज्यादा नौकरी है, इतना ज्यादा रोजगार का स्कोप है लेकिन क्या होता है? आज वहां के स्थानीय लोगों को, हरिजनों को, आदिवासियों को रोजगार देने की नीति आजसे दो साल पहले श्रम विभाग द्वारा तय की गयी थी। श्रम विभाग से एक आदेश हुआ था कि रोजगार स्थानीय लोगों को दी जायगी, स्थानीय रोजगार दफ्तर से उन्हीं लोगों का नाम आयगा जिनको बासगीत जमीन है, जिलावार एम्पोलाइमेन्ट इभिलूशन होगा, जिलावार एम्पोलाईमेन्ट क्रिइट होगा और उसी जिला के लोगों को दिया जायगा। आजसे दो वर्ष पहले श्री गुरुपतार सिंह सेक्रेटरी थे और उनके सिगनेचर से यह सरकार का आदेश

गया था लेकिन उसका अनुपालन नहीं होता है। नतीजा क्या हुआ? बी०सी०सी०एल०, सी० सी० एल० इ० सी० एल०, बोकारो में रिफन्ट्रीज है, और जितने नये-नये कारखाने खुले रहे हैं, और जिसके कारण स्थानीय लोग विस्थापित हैं और वे उससे वंचित हो रहे हैं। आज नतीजा यह हो रहा है कि आज बेकार हाथ इतने ज्यादा हो गये हैं, आज इतने बेकार युवक हो गये हैं। इसका नतीजा यह होगा कि छोटानागपुर की स्थिति आज नहीं तो कल ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेगी और यह ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेगी तो इसकी पूरी-पूरी जिम्मेवारी आपकी होगी। और सरकार की जो नीति है, जो सरकार के नियम हैं, जिनको काम चाहिये, जिनको सुविधा चाहिये उन्हें यह मोहैय्या नहीं कर सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण दे कर चाहूंगा कि बोकारो स्टील कारखाना के साथ श्रम विभाग के मई 1968 म तय किया गया कि बोकारो में हो रहे विस्थापितों के लिये चतुर्थ श्रेणी की नौकरी सुरक्षित रहेगी। संभवतः श्री सी० एम० झा उस समय के डी० सी० थे, उनको यह पूरा-पूरी बात मालूम है। बोकारो में मैं समझता हूं कि 50 हजार से ज्यादा विस्थापित हैं और बोकारो कारखाने के लिये 48 हजार एकड़ जमीन ली गयी है। 65 गांव इसमें चले गये हैं और यह हरिजन, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और मुसलमान लोगों ने ज्यादा जमीन दी लेकिन चतुर्थ वर्ग की नौकरी में बोकारो का प्रबन्धन 1980 से नौकरी में नहीं दे कर अपने घर में काम करने वाले लोगों को रुपया ले ले कर बहाल कर रहा हैं। इस बारे में सूचना मैंने दी।

श्री सी० एम० झा ने इतनी मेहरबानी की कि बोकारो के मैनेजिंग डाइरेक्टर को चिट्ठी लिख कर कहा कि हम प्रोसिक्यूशन करेंगे यदि गलत एम्पोलाईमेन्ट करेंगे। इसके बावजूद वे गलत तरीके से नौकरी में लोगों को रख रहे हैं और विस्थापितों को नहीं लिया जा रहा है। वहां का एम्पोलाईमेन्ट एक्सचेन्ज इस बात को प्रोटेक्ट करने के लिये है, लेकिन वहां एम्पोलाईमेन्ट एक्सचेन्ज, रिजनल एम्पोलाईमेन्ट अफसर भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और रुपया लेकर नाम भेजता है। विस्थापितों, हरिजनों और आदिवासियों का नाम दर्ज तक नहीं करता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं दूसरी बात की ओर श्रम विभाग का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बोकारो स्टील के श्रमिकों और मजदूरों के जितने भी केस लंबित हैं उस केस का निष्पादन नहीं हो सका है। मजदूरों को राहत तो दूर, मजदूरों को सुरक्षा तो दूर रही, मालिक को आजतक प्रोसीक्यूशन नहीं कर सके हैं। जिसका नतीजा होता है कि मजदूरों की छटनी होती है, उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है, हजारों-हजार मामला जो बोकारो स्टील सिटी में श्रम कार्यालय में उसमें लंबित है और एक पर भी कार्रवाई नहीं हो रहा है जिसका नतीजा यह है कि

मजदूर मारे जाते हैं और इस विभाग पर से मजदूरों की आस्था हट रही है, विश्वास हट रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा जो काम करते हैं होटल में, जो दुकानों में काम करते हैं ,जो ट्रक के साथ काम करते हैं, जो ठीकेदारों के साथ काम करते हैं, जो खेतीहर मजदूर है उनके लिये इस विभाग को इतना कारगार होना चाहिये था कि उनको उचित मजदूरी मिले। श्रम विभाग को तत्पर रहना चाहिये था लेकिन आज कोई मजदूर नेता या कोई वर्कर, कोई शिकायत करता है, कोई लिख कर देता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है और अन्त में उन्हें छटनी का शिकार होना पड़ता है।

उन्हें मार खाने का शिकार होना पड़ता है लेकिन यह विभाग उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है। इसलिये यह सुरक्षा करे नीति के तहत। अगर यह सुरक्षा करे कानून के तहत, अगर यह सुरक्षा करे कल्याणकारी राज्य होने के नाते, अगर यह सुरक्षा मजदूरों को मिलती तो उपाध्यक्ष महोदय, आज जो खेतीहर मजदूर है उन्हें मिनिमम वेजेज नहीं मिलती है क्या ? और वे क्षेत्र नक्सलाईट नहीं घोषित किया जाता अगर इन्हें सही-सही मजदूरी मिलती, अगर श्रम विभाग तत्परता से काम करता उनके मामलों को सुलझाने में उनका साथ देती जो मजदूरी मिल रही है या जो असंतोष बढ़ रहा है, क्षेत्र को नक्सलाईट है घोषित किया जा रहा है तो यह नहीं होता। आज मजदूर लोग अपना आन्दोलन किये हुए है, उन्हें श्रम विभाग ने कभी देखा है क्या? खेतीहर मजदूरों को कभी श्रम विभाग ने देखा है क्या ? आज उग्रवादिता बढ़ रही है, मजदूरों के लिये आन्दोलन बढ़ रहा है और अन्त में उन्हें नक्सलाईट का नाम दे दिया जाता है और लोग मारे जाते हैं। अगर लेबर विभाग तत्परता से काम करे, ईमानदारी के साथ काम करे तो कम से-कम इसके जरिये विधि व्यवस्था मेनटेन हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आज बी०सी०एल० में हजारों हजार एकड़ जमीन प्रतिदिन अर्जित की जाती है, सी० सी० एल में अर्जित की जा रही है, बेरमो में प्राप्त की जा रही है, अबरक के लिये अर्जित की जा रही है और जो लोग विस्थापित हो रहे हैं और सरकार की नीति के अनुसार वानगीत जमीन है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का रेडियस मान कर श्रम विभाग नीति तय करती है और स्थानीय एम्पोलाईमेन्ट एक्सचेन्ज नाम नहीं देती है तो उस जगह आन्दोलन होगा और इस आन्दोलन का इस विभाग को भुगतना पड़ेगा। इस विभाग ने दायित्व लिया है मजदूरों को उचित मजदूरी दिलाने के लिये, दायित्व लिया उनके काम का घंटा ठीक रहे, दायित्व लिया है उनके साथ जुल्म नहीं हो, इस विभाग ने दायित्व लिया है इन्डस्ट्रीयल प्राब्लम न हो लेकिन आज मजदूरों पर जुल्म हो रहा है, जो स्थानीय पदाधिकारी है वे मजदूरों के साथ न्याय नहीं करते हैं।

वहां के जो स्थानीय पदाधिकारी होते हैं, मजदूरों के साथ न्याय नहीं करते हैं। नतीजा क्या है कि लेबर डिपार्टमेन्ट आपका फेल हो रहा है। आप में मजदूरों का का जो विश्वास होना चाहिये था आज नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आई० टी० आई० की ओर से वहां व र्से विभिन्न ट्रेडों में तैयार किये जाते हैं लेकिन उन्हें इम्पलाइमेन्ट का कोई गारंटी नहीं है। उनके लायक भेकेन्सी कई जगहों पर होते हैं लेकिन उनको बहाली नहीं की जाती है। आई० टी० आई० में रिजर्भेशन किया है लेकिन जबतक उन्हें रोजगार नहीं मिलता है तो सब बेकार है।

उपाध्यक्ष—अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री अकलू राम महतो—दो चार बात और मुझे कहनी है। ओल्ड ऐज पेंशन नहीं देकर यह सरकार डूब रही है, गरीब लोगों का जो पेंशन था, महिला बुढ़िया का जो पेंशन था वह उसे सरकार नहीं देकर स्वयं खा गयी है। हमारे माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा ने भी ठीक ही कहा है कि उनके जमालपुर में भी बुढ़िया पेंशन था जिसे सरकार खा गयी है। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि श्रमिकों के लिये रोजगार दिलाने की दिशा में सरकार को कोशिश करनी चाहिये। इतने कारखाने बोकारो, हटिया आदि में खुल रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि उन कारखानों के 20 किलो मीटर के रेडियस में जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो इन कारखानों के चलते विस्थापित हुए हैं, उनके लिये क्लास थर्ड और फार्थ की नौकरी सरकार को रिजर्व कर देनी चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बोकारो, चन्द्रपुरा आदि में जो कारखाना है उसके धूआं से किसानों की खेती मारी जाती है, उससे फसल की क्षति होती है। इसको बर्बादी होने से बचाने के लिये सरकार जो भी उचित समझे उसके लिये कारंवाई करे। डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट से सरकार को इसका विकास कराना चाहिये। अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि...

उपाध्यक्ष—आपका भाषण का अन्त नहीं होनेवाला है, इसलिये आप बैठ जायं।

श्री अकलू राम महतो—मैं कहना चाहता हूँ कि छोटानागपुर क्षेत्र में चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, वन विभाग हो, चाहे और कोई विभाग हो, उनमें जो रिक्तियां है, उन जगहों को आदिवासी और हरिजनों से भरा जाय। नहीं तो उनकी नोकरी का समस्या दूर होने वाली नहीं है। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो वहां पर तूफान उठने वाला है।

श्री समायले नवी—उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री ने जो मांग का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं इसे राजनीति का रंग नहीं देना चाहता हूं। क्योंकि मेरा मन ऐसा नहीं है, जहांतक मजदूरों के पसीना की कमाई है, मैं चाहता हूं कि उनका पसीना सूखने के पहले पेमेन्ट हो जाना चाहिये। और समाज के अत्यन्त ही शोषित की चर्चा इस सदन में हो रही है और उसमें आश्चर्य तब होता है जब माननीय सदस्य, श्री तुलसी सिंह ने उस मांग में कटौती का प्रस्ताव रखा है। जिस गरीब लोग का हम आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस शोषण से पीड़ित लोगों के लिये मांग आज हम सदन से कर रहे हैं, उनके लिये आवश्यकता इस बात की थी, चाहे इस पक्ष के लोग हों, चाहे उस पक्ष के लोग हों, इस पर गंभीरता से विचार करते कि आज हम क्या कर रहे हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ क्या हैं, हम कह क्या रहे हैं, हो क्या रहा है और हमारे सामने बैठे हुए लोग सोच क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। वस्तुस्थिति यह है कि हम डपोरशंखी नारों पर विश्वास नहीं करते। हमारी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है, लेकिन जो लोग लम्बी-लम्बी वायदे करते हैं, जो लोग लम्बी-लम्बी बातें करते हैं और जो लोग डपोरशंखी होते हैं, वे चाहे जो करें लेकिन मैं पूर्णरूप से, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा मत है, मेरा विश्वास है गरीबों की समस्याओं के समाधान में और एक योजनाबद्ध तरीके से कोई करनेवाले नहीं है, कोई करनेवाले नहीं हैं, कोई चलनेवाले नहीं है और न कोई इसे देखने वाला है। मेरा विश्वास है कि जब इस देश के किसान और मजदूर दबे रहेंगे, गरीब रहेंगे और शोषित रहेंगे, तबतक जो लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनका एक दिन भी आराम से गुजर नहीं हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा एक संस्कार है, हमारे पीछे इतिहास है, हमारे पीछे मूल उद्देश्य है और संस्कार है जिसे ले कर हम चल रहे हैं। मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं लेकिन अक्सर जो जन-जीवन है, उसमें वे जानते हैं कि हम क्या हैं, सामने में बैठे हुए लोग क्या हैं, इसका नक्शा बदलते रहे हैं और इनका चुनाव चिन्ह बदलते रहे हैं और इनके झंडे बदलते रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता था कि मेरा उद्देश्य मजदूरों की समस्या के समाधान के लिये है. मेरी चिन्ता इस बात के लिये है कि कैसे गरीबों और मजदूरों के लिये कल्याणकारी कदम उठावें, मेरी चिन्ता इस बात की नहीं है कि मजदूरों के नाम पर एक्सप्लाएटेशन किया जाय, मजदूरों के नाम पर मेरी पार्टी के हित की रक्षा की जाय, मजदूरों के नाम पर मेरी आशाएं और आकांक्षाओं पूरी की जाय, मेरा कर्तव्य मंशा, वाचा और कर्मणा होना चाहिए। मेरा विश्वास है कि श्रमिकों के हित का काम

मंशा, वचन और कर्मणा के आधामूल सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए। झूठे वायदे नहीं होने चाहिए। जब मजदूरों के हड़ताल होते हैं तब मेरी चिन्ता होतो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कहीं छटनी होती है, जब कहीं तालाबंदो होती है तब मेरी चिन्ता होती है। जब अपने शर टकराने लगते हैं तब सोचने लगते हैं कि उसका क्या होगा जिसके यहाँ कई दिनों से चूल्हा नहीं जला है। उसका क्या होगा जिसकी बीवी दवा के लिए तरस रही है, जिसके बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं। जब-जब ऐसा होता है हमारी चिन्ता बढ़नी है। इनकी चिन्ता क्या है वह मैं जानता हूं। इनकी चिन्ता है कि किसान को बरगलाओ, अफवाह फैलाओ, अराजकता फैलाओ, हड़ताल हो, अराजकता बढ़े, तालाबन्दी हो, छंटनी हो, लोगों के बीच मनमुटाव हो। इनको यह चिन्ता नहीं है कि मजदूरों की समस्याओं का कैसे समाधान हो। हमारी चिन्ता है कि कैसे मजदूरी की समस्याओं का समाधान करेंगे। यह कहने के लिए नहीं है, हमारे साथी पंलित जी ने आंकड़ा देकर साबित कर दिया है कि किस तरह हमारी सरकार योजनाबद्ध तरीके से मजदूरों की समस्या का समाधान कर रही है। उन आंकड़ों को रखकर मैं सदन का समय लेना नहीं चाहता, सदन का समय बर्बाद करना नहीं चाहता लेकिन आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इंटक को जो चिन्ता है, वह हमारी चिन्ता है, जो चिन्ता आपको नहीं है। इस सदन के माध्यम से मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं कि गरीबों, मजदूरों की समस्या का समाधान अगर हो सकता है तो श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हो सकता है, दूसरे के नेतृत्व में नहीं हो सकता है। जब-जब हम श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम लेते हैं तो ये कहते हैं कि वह खुदा हैं, मैं कहता हूं कि वह शक्ति है और उनकी शक्ति के श्रोत हैं गरीब किसान, दबे हुए लोग, मजदूर। मैं बड़ी गंभीरता के साथ मिसाल रखना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि 1977 में इनकी सरकार बनी तो इन्होंने मजदूरों के, दलितों के जुलूस को कहां रुकवा दिया? तो बेली रोड के रेलवे लाइन के किनारे, आर० ब्लौक के रेलवे लाईन की गुमटी के पास, ताकि कोई मजदूर का जुलूस इनके पास तक, एम० एल० ए० के पास तक, मुख्यमंत्री के घर तक या किसी मंत्री के घर तक नहीं आ सकता है। इन्होंने जुलूस को दूर ही रखने का आदेश दिया। क्या यह सच नहीं है? आप जानते हैं कि हमारी पार्टी के भूतपूर्व मंत्री, श्री केदार पाण्डेय के घर पर पटना म्युनिसिपल कारपोरेशन की ओर से पैखाना फेंक दिया गया। हमने उसे भी स्वीकार किया लेकिन क्या ये उसको स्वीकार करने के लिये तैयार हैं? लेबर एडवाइजरी बोर्ड बन गया है। इसकी मीटिंग होनेवाली है।

असेम्बली समाप्त होने के तुरत बाद इसकी मीटिंग होनेवाली है। हमारी सरकार ने कहा है कि अशोक पेपर मिल, कटिहार जुट मिल, डालमियानगर फैक्ट्री, सबको वह खोलने जा रही है।

मजदूर संगठन में ऐसे लोग नहीं आयें जो पृथकतावादी हों, जो अलगाववादी शक्तियां हों। ऐसे लोगों को मजदूर संगठन से अलग रहना चाहिए। मैं सरकार से मांग करूंगा, न्यूनतम मजदूरी कानून को पूरी मुस्तैदी के साथ लागू करना चाहिए। हमारा विश्वास है कि हमारी सरकार इसको करने में सक्षम है और वह इसे मुस्तैदी के साथ लागू करेगी।

हम चाहते हैं कि श्रम और मैनेजमेंट में आपस में साझेदारी हो और वे आपस में बैठकर सारी समस्याओं का समाधान करें।

इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री दीनानाथ पाण्डेय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री तुलसी सिंह के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूं। समर्थन में इसलिए बोल रहा हूं कि श्रम एवं नियोजन विभाग न तो श्रम का काम कर रहा है और न नियोजन का काम कर रहा है। सच पूछिये तो यह विभाग पूंजीपतियों का पूंजी बढ़ाने का काम कर रहा है। तथा बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर रहा है। हमारे तुलसी बाबू ने बताया कि एच० ई० सी० में हड़ताल चल रही है। सचमुच में उनकी मांग का वेल्यू मुश्किल से ढाई करोड़ की है जिसपर ऑलरेडी आठ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। इस संबंध में कल बैठक होने वाली थी। मैं समझता हूं कि आजकल में बैठक होगी। तो मैं चाहूंगा और जैसा कि सत्ताधारी दल के एक सदस्य बोल रहे थे सचमुच में उनको मजदूरों से प्रेम है तो एच० ई० सी० के मजदूरों से बातें करनी चाहिये और सरकार अपना हठधर्मी को छोड़कर एक रास्ता निकाले। इसी तरह से रोहतास में भी हड़ताल है। तीन महीने से तालाबन्दी है। मगर सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रहा है। अशोक पेपर मिल बन्द है, ठाकुर पेपर मिल बन्द है। यानी इस सरकार के मजदूर विरोधी नीति के चलते सभी जगह हड़ताल है। श्रम विभाग कुछ नहीं कर रहा है। इस सरकार के समय एक हिस्टोरिकल सेम्बुल हो गया है हड़ताल और तालाबन्दी। महोदय, जमशेदपुर के टी० आर० एफ० के ठीकेदार मजदूर टी० आर० एफ० के गेट पर दिनांक 2 दिसम्बर, 1980 से धरना दिये हुए हैं, उनकी हड़ताल चल रही है, मगर श्रम विभाग द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। लगता है कि उनकी मांगों पर विचार करने वाला कोई है नहीं।

आज टाटा में आटोमेशन की बात हो रही है। आटोमेशन के द्वारा मजदूरों को चबाया जा रहा है। मैं यह नहीं कहता हूं कि आटोमेशन नहीं हो, माइनर आटोमेशन चल सकता है मगर ऐसा आटोमेशन नहीं होना चाहिये जिससे मजदूरों पर बुरा प्रभाव पड़े। मजदूरों को चबाने के लिए आटोमेशन नहीं किया जाना चाहिये। आप देखेंगे कि जहां 600 मजदूर काम कर रहे थे वहां आटोमेशन से केवल 12 मजदूर ही काम कर सकेंगे अगर यह सरकार उनको अनुमति देगी तब। अभी सत्ताधारी पक्ष के सदस्य श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम ले रहे थे। तो श्रीमती इन्दिरा गांधी आटोमेशन के पक्ष में बोलती हैं। इस तरह से यह आटोमेशन टाटा के मजदूरों को चबा जायगा। यह सरकार मजदूरों के विरुद्ध सब काम कर रही है, आज नेशनल सिक्युरिटी कानून भी उनके विरुद्ध बनाया गया है। टाटा में जो आटोमेशन होगा उससे क्या निकलेगा ? उससे एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी तथा अभी जो मजदूर काम कर रहे हैं उनमें से हजारों-हजार को फोर्स वोलंटरी रिटायरमेंट किया जा रहा है।

माननीय श्रम मंत्री महोदय, वहां गयी थीं, वहां भी इस बात को कहा गया तो उन्होंने कहा कि श्रमायुक्त को भेजकर इसका निरीक्षण करायेंगे। वे गये कि नहीं गये, या चुपके से चले गये, निरीक्षण किया या नहीं किया, कुछ पता नहीं चला। और हुजूर मजदूरों को वालेन्टरी रिटायरमेन्ट कराया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, टाटा रोबिन्स फ्रेजर लिमिटेड स्थायी स्टैन्डिंग आर्डर के विरोध में काम कर रहा है, बिना संशोधन किये हुए मनमानी कर रहा है, मनमानी परिवर्तन कर रहा है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। श्रम विभाग से बिना संशोधन कराये इसके विरुद्ध कोई काम वह नहीं कर सकता है। डी० आर० एफ० स्टैन्डिंग ओर्डर के डिफनीशन के 4 बी में है कि—Defnition : 4 (B) : General Manager means the company's General Manager at Jamshedpur or any other person acting as such or authorised to act in his place.

इसको बिना संशोधन कराये भारी परिवर्तन किया है। जेनरल मैनेजर की जगह चेयरमैन ले लिया और चेयरमैन की जगह प्रेसीडेन्ट और भाइस-प्रेसीडेन्ट ने ले लिया। यह सब गैर कानूनी हो रहा है, श्रम विभाग कुछ नहीं कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, तीन-चार कम्पनियों के ठीकेदार मजदूरों के बारे में डिसप्यूट हमने उठाया, चाहे वह टेलको का हो, टिस्को का हो, टिनप्लेट का हो या टयूब कम्पनी का हो, लेकिन श्रम विभाग कुछ नहीं कर रहा है। टेल्को के नर्सिंग मजदूरों के बारे में

कुछ नहीं हुआ, वाटर फिल्टरप्लान्ट के मजदूरों के बारे में कुछ नहीं हुआ। टिनप्लेट के ठीकेदार मजदूरों के बारे में त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, लेकिन कभी भी वहां गेट पास के मजदूरों को परमानेन्ट नहीं किया गया, जो होना चाहिये था। उसी तरह ट्यूब कम्पनी के ठीकेदार मजदूरों के बारे त्रिपक्षीय वार्ता चल रही थी, उसी समय श्री हरदेव प्रसाद, राज्य शिक्षा मंत्री का निधन हो जाने के कारण बैठक स्थगित कर दी गयी, उसके बाद वह खटाई में पड़ गयी और आज तक खटाई में पड़ा हुई है। हमने रिप्रेजेन्टेशन दिया कि जितने लोगों को परमानेन्ट होना चाहिये, उसका आधा हुआ, बाकी लोगों को भी परमानेन्ट किया जाय, लेकिन कागज पटना से जमशेदपुर और जमशेदपुर से पटना दौड़ रहा है, नतीजा कुछ नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, उसी तरह टिस्को के मजदूरों के बारे में सभी विरोधी दल के नेताओं ने भी कहा, हमने भी मेमोरन्डम दिया तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ० जगन्नाथ मिश्र को। त्रिपक्षीय वार्ता के लिये 12 फरवरी, 1981 को बैठक बुलायी गयी, वह नहीं हुई। उसको फिर बुलाने की मांग की गयी, लेकिन वह भी नहीं हुयी।

उपाध्यक्ष महोदय, उसी तरह आप नियोजन के बारे में कुछ नहीं करने जा रहे हैं। आई० टी० आई० के माध्यम से आपका 95 करोड़ रुपया खर्च हो गया, लेकिन प्रशिक्षण का ढांचा बिल्कुल गड़बड़ है। अभी राज्य भर में नियुक्ति पर आपने रोक लगा दिया है। आपने जितने वर्ष नियुक्ति पर रोक लगा रखी है, उतने वर्ष बेरोजगारों की उम्र सीमा जो अभी मैक्सिमम है, उसको बढ़ा दें, अन्यथा बहुत से बेरोजगारों की उम्र नौकरी की समाप्त हो जायगा। और वे सदा बेरोजगार रह जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी मैंने इस बात को कहा था और आज भी कह रहा हूं कि इन्सपेक्टर्स ऑफ फैक्टरीज को आप मजबूत करें, आपने इस संस्था को अपंग बनाकर रखा है, इसमें काम करने वाले लोगों को 70 से जो काम कर रहे हैं, उनको प्रोमोशन नहीं मिला है। मैकेनिकल इन्जीनियरिंग डिग्री लेकर 18-20 वर्ष से सड़ रहे हैं। इसलिये इस संस्था को मजबूत करें ताकि सरकार का कुछ काम हो सके।

इनके जो चीफ इंसपेक्टर ऑफ फैक्टरीज हैं उनका पद और जो डिपुटी चीफ इंसपेक्टर ऑफ फैक्टरीज हैं वे पद रिक्त हैं, सिनियर इंसपेक्टर ऑफ फैक्टरीज के सारे पद रिक्त हैं। उन पदों पर नियुक्ति के लिये ये मिजिलेंस में क्लियरेंस मांगे हैं जिसमें 6 महीना लग जाता है लेकिन वहां से कुछ नहीं आता है तो फिर भिजिलेंस में क्लियरेंस में भेजते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बात और कहना चाहता हूं कि इनका जो इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल है जिसमें मजदूरों की समस्याओं का

समाधान होता है उसकी क्या स्थिति है उसको देखिये। मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिये जो रांची में न्यायालय बनाया गया है उसको हमने देखा है। उस इन्डस्ट्रीयल ट्रिबुनल, रांची में जब हमारा वकील कहता था कि "मिलार्ड" तो उधर से जज साहब "टूर" करते थे। जज के बैठने की जो कुर्सी थी उसके पीछे सिर लटका कर वे खर्राटा ले रहे थे। उनको कान से सुनाई नहीं पड़ता है, आंख से दिखाई नहीं पड़ता और न उनके दिमाग में समझने की ही शक्ति रह गयी है. वे अब कब्र में जाने ही वाले हैं एैसे लोगों को उस पद पर रखा गया है। जब इस तरह के जज कुर्सी पर रहेंगे तो वे क्या फैसला दे सकते हैं यह आप समझ सकते हैं। वैसे लोगों को पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है।

श्री सदानन्द सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है कि किसी भी पीठासीन पदाधिकारी के संबंध में या जज के संबंध में इस तरह की बात ये सदन में कह सकते हैं क्या ?

श्री दीनानाथ पाण्डेय—माननीय सदस्य इस तरह से व्यवधान नहीं करें। उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय मजदूर संघ और अनेकों संघ ने मजदूरों के वेतन के संबंध में और कर्मचारियों को बोनस मिले, इसकी मांग की, चाहे वे केन्द्र सरकार के कर्मचारी हों या राज्य सरकार के हों, चपरासी से लेकर उंचे पदाधिकारी सभी को बोनस मिलना चाहिये। उनकी मांग पर कुछ को तो मिला लेकिन सबों का नहीं। मैं मांग करता हूं कि जो भी कर्मचारी हों, राज्य के, केन्द्र के या फैक्टरी के सबों को बोनस मिलना चाहिये। यदि सरकार के दिल में सचमुच में मजदूरों के प्रति सहानुभूति है, हमदर्दी है तो चाहे चपरासी हों या मुख्य सचिव हो सबों को 1-33 परसेन्ट की दर से बोनस दे। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री, अपने उत्तर के क्रम में इसी सदन में घोषणा करें कि यहां के कर्मचारियों को बोनस दिया जायगा।

श्री मदन प्रसाद—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग की ओर से जो मांग पेश की गयी है उसके संबंध में जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। बिहार में खेतीहर मजदूरों की जोबडी संख्या हैं, यहां 4 लाख बीड़ मजदूर हैं, 33 लाख कारखाना मजदूर हैं। इसके अलावा भी वैसे मजदूर जिनका अपना संगठन नहीं है उनके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार इसपर गंभीरता से विचार कर रही है। किसी भी सरकार की मंशा

क्या है उसका कार्यक्रम क्या है वह किस तरह से मजदूरों की भलाई करना चाहती है इसको देखने की आवश्यकता है।

जो प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का नया 20-सूत्री कार्यक्रम है उसके अन्तर्गत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने और बधुआ मजदूरों को मुक्ति दिलाने का प्रधान मुद्दा है। इसमें दो राय नहीं है कि आज जो खेतिहर मजदूरों की हालत है वह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। आप जानते हैं कि जब खेतों में, खलिहानों में काम करने की बात आती है तब गरीबों के बेटे हैं, और जब कल-कारखानों में काम करने की बात आती है तो गरीब के बेटे हैं और जब गुलछर्रे उड़ाने की बात आती है तो अमीरों के बेटे आ जाते हैं। इसको श्रीमती इन्दिरा गांधी चलने देना नहीं चाहती हैं।

श्री मुंशी लाल राय—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट औफ आर्डर है। क्या श्री राम गुलाम की तरह इनको भी मिर्गी आती है ?

श्री मदन मोहन प्रसाद सिंह—हुजूर, ये लोग मजदूर विरोधी हैं इसलिए मजदूरों की बात सुनना नहीं चाहते हैं। बिहार सरकार की ओर से न्यूनतम मजदूरी कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है। मैं बतलाना चाहता हूं कि बिहार सरकार की श्रम नीति भारत सरकार के श्रम संवर्ग के अन्तर्गत है और भारत सरकार के द्वारा जहाँ केवल 12 नियोजनों के लिए सूची बनाई गई है वहीं बिहार सरकार के द्वारा 61 नियोजनों के लिए सूची बनाई गई है और 32 नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिए निर्धारित किया गया है। श्रम विभाग की ओर से न्यूनतम मजदूरी को गंभीरता से लागू करने के लिए प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर, प्रमंडलीय स्तर और राज्य स्तर तक संगठन बनाया गया है और उसके लिए पदाधिकारियों तथा निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है प्रत्येक प्रखंड में।

श्री जनार्दन तिवारी—मदन बाबू आपके गांव में न्यूनतम मजदूरी क्या है ?

श्री मदन प्रसाद सिंह—हमारी सरकार न्यूनतम मजदूरी दृढ़ता से लागू करना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों के द्वारा आवेदनपत्र पेश किया गया उसका निष्पादन किया गया है। 1980-81 में नगद रुपये 20,53,343.51 पैसे और अनाज 4,450 क्वींटल 54 कि० ग्राम एवं जमीन के रूप में 95 बीघा 11 कट्ठा 11 धूर बांटी गयी।

श्री रामचन्द्र पासवान—जब न्यूनतम मजदूरी लागू है तो ये अपने मजदूर को कितनी मजदूरी देते हैं ?

श्री मदन प्रसाद सिंह—1982 में नगद रुपया 32,88,826.77 पैसे, अनाज 5,974 क्वींटल 15 किलोग्राम और 73 बीघा 15 कट्ठा 1 धूर जमीन बांटी गई। 1983 में 41,13,422 रुपये 23 पैसे, अनाज 5,579 क्वींटल 37 किलोग्राम, जमीन 58 बीघा 7 कट्ठा 10 धूर और 1984 में नगद रुपये 15,7?,892.84 पैसे, अनाज 2,631 क्वींटल 6 किलोग्राम, जमीन 24 बीघा 12 कट्ठा। उपाध्यक्ष महोदय, जो आवेदन-पत्र निष्पादित किए गए हैं उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की मंशा साफ है कि न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाय और कर रही है। सरकार ने समझौता के द्वारा निदेश दिया है कि प्रत्येक मुखिया की अध्यक्षता में किसानों के दो प्रतिनिधि और मजदूरों के दो प्रतिनिधि रहेंगे और मिनिमम मजदूरी को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

जिला स्तर पर बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार दृढ़तापूर्वक कार्रवाई कर रही है। 8,365 बंधुआ मजदूरों को विमुक्त किया गया और 7,431 बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित किया गया। 559 बंधुआ मजदूरों को जो राज्य के बाहर के थे उनको उनकी इच्छानुसार उनके राज्य में भेजा गया। वित्तीय वर्ष 1983-84 में हमारा लक्ष्य बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित करने का 2,872 था वहां हमने 3,032 बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित किया है। वित्तीय वर्ष 1984-85 में जहां हमारा लक्ष्य 375 बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित करने का था वहां अभी तक हमने 170 बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित किया है। प्रत्येक जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि बंधुआ मजदूरों की पहचान के लिए अभियान चलाया जाय। इसके लिए प्रत्येक जिला में जिला पदाधिकारी के अन्तर्गत जिला कमिटी गठित की गई है और बिहार राज्य में जो बंधुआ मजदूर होंगे उनका पता करके, पहचान करके खोजि निकाला जाएगा और उन्हें विमुक्त कराकर पुनर्वासित करने की हमारी योजना है। मैं इतना ही कहकर बैठ जाता हूं।

श्री तुलसी रजक—उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार और बिहार सरकार की जो श्रम नीति है उससे मजदूरों की कोई भलाई नहीं हो सकती है। सरकार लाख ढिंढोरा पीटती है लेकिन मजदूरों का कल्याण नहीं करती है। अभी माननीय सदस्य श्री शमायले नबी की बातें मैं सुन रहा था। उनको चिन्ता थी कि मजदूरों के घर में चूल्हे जलते या नहीं? उन्हें चिन्ता मजदूरों की है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपके माध्यम से सरकार को जानकारी दिलाना चाहता हूं कि जब इतनी चिन्ता मजदूरों के लिए करते हैं, तो जब जमशेदपुर में हड़ताल मजदूरों की चल रही

थी, तो क्यों आई० एन० टी० यू० सी० और सरकारी लोगों ने मजदूरों को हड़ताल करने से रोका। सरकार यह जानती है कि हटिया के 22 हजार मजदूर हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि जो सुविधा उन्हें मिलती थी वह सरकार द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा काट लिया गया है, वह सुविधा उन्हें मिले। इसी के लिए हड़ताल वहां के मजदूरों ने किया है। आई० एन० टी० यू० सी० के लोग हड़ताल रोकने की कोशिश की और आई० एन० टी० यू० सी० के लोगों ने मजदूरों पर गोली चलाई जिसके फलस्वरूप एक मजदूर को गोली लगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार अपने बनाये कानून को अपने हाथ से तोड़ती है जिसका उदाहरण जमशेदपुर का हड़ताल और हटिया का हड़ताल है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार की नीति के चलते बेकारी बढ़ी है। 36 वर्षों की आजादी के बाद भी बेकारों की तादाद काफी बढ़ी है। इस वर्ष बेरोजगारों की संख्या 14 लाख 99 हजार 103 हो गयी है जबकि एक साल पहले का आंकड़ा है। 1983 का शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 13 लाख 54 हजार 944 थी। आप सोच सकते हैं कि एक साल में 1 लाख 43 हजार बेरोजगार पैदा हो गये। यह बेरोजगारी कैसे पैदा हुई है मैं आपके सामने में कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। इनकी श्रम नीति के चलते यह बेरोजगारी बढ़ी है। मजदूरों को बेकार करने की, उनका दमन करने की इनकी नीति है। इससे मजदूरों की भलाई नहीं हो सकती है।

आपको देश और राज्य से बेकारी दूर करने के लिए पूंजी निवेश करना होगा। नया-नया उद्योग खोलना होगा लेकिन आपने टिसको को 3 सौ करोड़ रुपया ओटोमेशन के लिए छोड़ दिया, जिसमें अभी 4 करोड़ रुपया टिस्को को देना बाकी है। जो पैसा आपने ओटोमेशन (आधुनिकीकरण) के नाम पर खर्च किया है उसको नये नये उद्योग खोलने के नाम पर खर्च किया गया रहता तो लाखों लोगों को रोजी मिलती।

आज जो पत्थर तोड़, खेत मजदूर, भट्ठे में काम करने वाले, बीड़ी मजदूर, माईका मजदूर, वन में काम करने वाले जो असंगठित मजदूर हैं उनके लिए जो न्यूनतम मजदूरी तय है वह भी सरकार लागू नहीं कर रही है। खेत मजदूरों की यहां न्यूनतम मजदूरी रुपया है 7 रुपया 93 पैसा। ये 1982-83 के आंकड़े हैं। न्यूनतम मजदूरी हरियाणा में 16 रुपया 20 पैसा है। इस तरह आप देखिये कि हरियाणा में यहां से दुगुनी मजदूरी मिलती है। इसीसे आप सोच सकते हैं मजदूरों की कितनी हित की बात की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, जमशेदपुर में उप-निदेशक के कार्यालय खोलने की बात थी लेकिन

अभी तक कार्यालय नहीं खोला गया है न कर्मचारी ही बहाल किए गए हैं। सिंहभूम के गोवा में आई० टी० आई० केन्द्र खोलने की बात था। सरकार द्वारा पैसा मिला लेकिन वहां आई० टी० आई० का केन्द्र नहीं खुला। ये केन्द्र सरकार की योजना थी। 6 करोड़ रुपया आई० टी० आई० खोलने के लिए दिया गया लेकिन न तो वहां दफ्तर खुला है न वहां मशीन की खरीददारी हुई है। वह छः करोड़ रुपया लौटा दिया गया। हुजूर, आई० टी० आई० पर 4 करोड़ रुपया खर्च होता है और प्रति साल अनेकों प्रशिक्षित उम्मीदवार वहां से निकलते हैं लेकिन आज बिहार में जितने भी आई० टी० आई० हैं सब में मशीनें खराब हैं। उनको सरकार मरम्मत नहीं करा रहा है। न सरकार की चिन्ता है न विभाग की चिन्ता है। सरकार क्या इम्पलायमेंट दूर करेगी जबकि कोई व्यवस्था आपको ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, 1958 में टिस्को कारखाना में 36 हजार मजदूर काम करते थे लेकिन उन मजदूरों की संख्या घटती घटती 24 हजार की हो गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सोचने की बात है कि जहां 1958 में 36 हजार मजदूर थे और काम जबकि आज से आधा था आज वर्क लोड जबकि बहुत ज्यादा है मजदूरों की संख्या वहां घटा दी गयी है। 36 हजार मजदूर जब काम करते थे तो उत्पादन 10 लाख टन का होता था लेकिन आज उत्पादन 22 लाख टन का हो रहा है जिसे 24 हजार मजदूर मिल कर उत्पादन करते हैं। यह आप स्वयं सोच सकते हैं। क्या यह सरकार बतायेगी कि मजदूरों पर आपने कितना बोझ लादा है। उसी तरह से टेल्को में 1969 में 26 हजार मजदूर काम करते थे और उस समय उत्पादन होता था 21 लाख टन लेकिन आज वहां पर जो 20 हजार मजदूर काम कर रहे हैं और वहां उत्पादन बढ़कर 28 लाख टन हो गया है, तो यह जो मजदूरों का रेशियो घटा है उसके चलते भी बेकारी बढ़ गयी है। दूसरी बात है कि आज बहुत से उद्योग बन्द हैं जिसके चलते लाखों लोग बेकार हो गए हैं।

उपाध्यक्ष—अब समाप्त कीजिये।

श्री तुलसी रजक—एक ही प्वायंट लास्ट में हमको कहना है कि मजदूरों का जो अधिकार टेल्को और टिस्को में था कि किसी मजदूर के रिटायर होने पर उसके लड़के को बहाल किया जायेगा उस अधिकार को आज खत्म कर दिया गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मजदूरों का जो अधिकार पहले था कि रिटायर होने पर उसके लड़के को बहाल किया जाय उस अधिकार को फिर से सरकार वहां लागू कराये। इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मो० यासीन—उपाध्यक्ष महोदय, श्रम एव नियोजन विभाग की मांग जो सदन में माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, लेवर डिपार्टमेंट सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है। अभी-अभी हमारे मित्र कुछ मजदूरों का नाम गिना रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि यहां सभी मजदूर हैं चाहे हम हों, या बड़े बड़े अफसर हों।

श्री लालू प्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है। माननीय सदस्य ने अभी अभी कहा कि सभी मजदूर हैं। ये कांग्रेस (आई) के सदस्य हैं। वे स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि वे बन्धुआ मजदूर हैं?

उपाध्यक्ष—इसमें व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है। यहां कोई मजदूर नहीं है, सभी माननीय सदस्य हैं।

श्री मो० यासीन—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बन्धुआ मजदूर की बात नहीं कही। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग का समर्थन करते हुये कहना चाहता हू कि हमारा श्रम विभाग काफी महत्वपूर्ण विभाग है। मैं कटिहार जूट मिल के बारे में कहना चाहता हूं। वहां हजारों हजार मजदूर आज भूखों मर रहे हैं क्योंकि वह मिल कई महीनों से बन्द पड़ा है। मैं सरकार से मांग करता हू कि जब सरकार की नीति है कि सभी को वेतन मिलना चाहिये, मजदूरों के बच्चों को तालिम मिलनी चाहिये तो वह मिल क्यों बन्द है? उस मिल को सरकार अविलम्ब चालू करावे यह मेरा मंत्री महोदय से गुजारिश है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इम्पलायमेंट एक्सचेंज की चर्चा करते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य में काफी संख्या में लोग बेरोजगार हैं। इम्पलायमेंट एक्सचेंज बिना पैसा लिए विभाग में उम्मीदवार का नाम भेजता नहीं है। यह बहुत ही गम्भीर सवाल है सरकार के सामने। मैं मंत्री महोदया तथा राज्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इम्पलायमेंट एक्सचेंज में जिन बेरोजगार लोगों का नाम रजिस्टर्ड है उनका नाम विभाग में क्यों नहीं भेजता है? सिर्फ कुर्सी पर बैठने से नहीं होगा, इसमें रेभोलुशनरी काम करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज वाटर बोर्ड के कर्मचारियों की हालत बहुत खराब है। सुना गया है कि 18 कर्मचारी भूख से मर गये हैं। आज भी वे हड़ताल पर हैं, जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। उन कर्मचारियों के पेट का मसला हल होना चाहिये। मैं मंत्री महोदया से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस मामले को दो दिन के अन्दर

हल किया जाय। हम जहां जाते हैं वाटर वोर्ड के कर्मचारी हमलोगों को घेर लेते हैं और अपनी समस्याओं को रखते हैं। इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का काम बहुत अच्छा तरह से चल रहा है। इसी विभाग के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन दिया जा रहा है। वृद्धावस्था पेंशन में गड़बड़ियां भी हुयी हैं। लेकिन इसका लाभ लोगों को मिल रहा है।

(इस अवसर पर श्री राजकुमार पूर्वे ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

सभापति (श्री राजकुमार पूर्वे)—माननीय सदस्य अब आप समाप्त करें। समय हो गया।

श्री मुन्शीलाल राय—सभापति महोदय, माननीय सदस्य का भाषण समाप्त होने के पहले मेरा व्यवस्था का सवाल है। माननीय सदस्य ने अपने भाषण के क्रम में कहा कि हमलोग मजदूर हैं, बंधुआ मजदूर हैं।

सभापति (श्री राजकुमार पूर्वे)—बंधुआ मजदूर नहीं कहा।

श्री मुन्शीलाल राय—सभापति महोदय, मजदूर ही यदि कहा है तो वे यह भी बता दें कि मजदूरों का रेट क्या है? (हंसी)।

श्री मो० यासीन—सभापति महोदय, हमारे विपक्षी सदस्य श्री मुन्शीलाल राय जो सिर्फ सवाल करना जानते हैं, क्या प्लानिंग होगा, क्या मशविरा होगा इसको नहीं सोचते हैं। सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं।

सभापति (श्री राजकुमार पूर्वे)—मैं भी सुन रहा था, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम बन्धुआ मजदूर हैं, उन्होंने कहा कि हम मजदूर हैं। अब रेट क्या मिलता है, यह चेयर का काम नहीं है पूछने का। यह कोई प्वायट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री मो० यासीन—मैं पार्टी का मेम्बर हूं, बंधुआ मजदूर नहीं हूं। सभापति-महोदय, वृद्धावस्था पेंशन में कुछ गड़बड़ी हुई है, इसमें छटाई का काम हुआ है, यह बहुत ही हैरत की बात है कि ये जो छटाई की गई है, इसको सी० ओ० न करके कर्मचारी ने छांटा है। यह जो छांटा गया है, यह सी० ओ० के द्वारा होना चाहिये था। जिनको पहले जायज मिलता था, उन लोगों को अब वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है और सारे अच्छे-अच्छे लोगों को पेंशन मिल रहा है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस पर अविलम्ब ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ जो मांग पेश की गई है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री लालू प्रसाद—सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य श्री मुन्शी लाल राय ने कहा कि क्या रेट है मजदूरी का ? हुजूर यह तो स्पष्ट है कि न्यूनतम मजदूरी जो मिलता है वह तो मिलता ही होगा, अगर उसमें कुछ कटौती हुई है, तो बतलायें, हमलोग सरकार से दिलवा देंगे।

सभापति (श्री राजकुमार पूर्वे)—यह प्वायंट ऑफ ऑर्डर नहीं हुआ।

श्रीमती रमणिका गुप्ता—सभापति महोदय, कटौती का प्रस्ताव जो प्रस्तुत हुआ है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं। सभापति महोदय, दुनिया के इतिहास में, किसी भी सभ्य समाज में, आप नहीं बतला सकते हैं कि किसी सभ्य देश में बंधुआ मजदूर हैं, किसी भी सभ्य देश में बन्धुआ मजदूर नहीं हैं। लेकिन हमारे देश में, आज यहां मदन बाबू ने बतलाया कि बिहार के 943 बन्धुआ मजदूर को मुक्त कराया, हजारों जहां बन्धुआ मजदूर हो वहां सिर्फ इन्होंने 943 बन्धुआ मजदूर को मुक्त करके इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया। मुझे तरस आती है मदन बाबू पर, वे बेचारे खुद बन्धुआ मजदूर जैसी स्थिति में हैं और वे कहते हैं कि हमने 943 बन्धुआ मजदूरों को मुक्त किया। इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि आप चतरा चलिये, आपको वहां बन्धुआ मजदूर बहुत मिलेंगे। आपको चतरा में बहुत सारे बन्धुआ मजदूर मिलेंगे। यहां पर श्रम मंत्री श्रीमती प्रभावती गुप्ता जो बैठी हुई हैं, वे बहुत ही हंस कर बात करती हैं और हमारी बातों को सुनती हैं, मैं इनसे कहना चाहती हूं इस बात को आप सिरियसली लें। आपने बन्धुआ मजदूर के लिये पांच शर्तें रखी हैं, जब कोई ये पांच शर्तें पूरा करेंगे तब ही ये बन्धुआ मजदूर कहलायेंगे, यदि एक भी शर्त पूरा नहीं होता है तो वे बन्धुआ मजदूर नहीं कहलायेंगे। आज भी हमारे यहां ऐसे कितने मजदूर हैं जो 3-4 शर्त पूरा करते हैं। बन्धुआ मजदूर के शर्त आंकने में आपके अधिकारी कटौती कर देते हैं। आपकी जो पांच शर्त हैं, उनमें एक है बन्धुआ मजदूर वही होंगे जिन्होंने कर्ज लिया हो, दूसरी शर्त यह है मालिक उनको मजदूरी नहीं दे, तीसरी शर्त है बन्धुआ मजदूर के लिये वे अपने सामानों को बिक्री नहीं करेंगे चौथा शर्त है कि वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी मालिक के यहां खटते रहें। आपके अधिकारी शर्त को आंकने में क्यों कटौती कर देते हैं। जब किसी मजदूर को कहीं से धान मिल गया तो उनके बारे में कहा जाता है कि वे धान बिक्री कर रहे थे, इस तरह आपके अधिकारियों के द्वारा बन्धुआ मजदूर की जो पांच शर्तें हैं, उनमें कहीं-न-कहीं कमी दिखला कर बन्धुआ मजदूर के श्रेणी में आने से वंचित कर देते हैं। कहीं चार, कहीं तीन शर्त ये मजदूर पूरी करते हैं, लेकिन वे मजदूर के श्रेणी में नहीं आते हैं। लाठी लेकर मालिक जाते

हैं और अपने मजदूरों को कहीं नहीं जाने देते हैं श्रम विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिये। जहां लाठी लेकर मालिक मजदूर को कहीं नहीं जाने देते हैं ऐसे लोगों को बंधुआ मजदूर में गिनती श्रम विभाग को करनी चाहिये। एन० आर० ई० पी० योजना के अधीन सरकार की नीति है कि लोगों को रोजगार दें। लेकिन सरकार ठीकेदारी कर रही है कर्मचारियों के माध्यम से। इस योजना के अधीन मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये सरकारी कर्मचारी जो ठीकेदार हैं वे मजदूरों को पांच-छः रुपया ही मजदूरी देते हैं। इसी तरह से जंगल विभाग के द्वारा जो काम कराया जाता है वे भी मजदूरों को कम मजदूरी देते हैं। माननीय मंत्री रामाश्रय बाबू एक बार वहां गये भी थे, वन मंत्री भी गये। रामाश्रय बाबू ने आदेश भी दिया मजदूरों को 8.50 रु० मजदूरी देना चाहिये। हमलोगों ने इस पर आपत्ति की तो मजदूरी बढ़ाकर 11.46 रुपया कर दिया गया लेकिन वन विभाग इसको मानती नहीं है। लेकिन हमलोगों के बहुत झंझट करने पर वन मंत्री भी कहे लेकिन जंगल विभाग इसको लागू नहीं कर रही है। इसी तरह से सरकार के जितने भी विभाग हैं जहां मजदूरों से काम कराया जाता है, जैसे सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई, पथ निर्माण विभाग या जंगल विभाग कहीं भी उचित मजदूरी नहीं दी जाती है, जो सरकार द्वारा तय है। श्रम विभाग से जो रेट तय है वह सरकार के विभाग द्वारा भी नहीं दिया जाता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि श्रम विभाग द्वारा तय दर के अनुरूप लोगों को मजदूरी दिया जाय। जंगल विभाग में डी० भी० सी० भी है और जंगल विभाग में डी० भी० सी० के लोग भी काम करते हैं। डी० भी० सी० का रेट 14.15 रुपया है लेकिन जंगल में काम करने वाले को इतना नहीं दिया जाता है। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके सभी मजदूरों को 14.15 रुपया मजदूरी दिलवाये। बहुत से क्षेत्रों को सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया है लेकिन वहां मजदूरों को मजदूरी कृषि मजदूर के जैसा दिया जा रहा है। जैसे रामगढ़, मांडू, मनातू आदि ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां भयंकर उद्योग खड़े हो गये हैं और सरकार ने भी उसे औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया है लेकिन वहां के मजदूरों को कृषि मजदूर के जैसा ही मजदूरी दिया जा रहा है। सरकारी कारपोरेशन भी मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं देते हैं। एक डुगल कम्पनी है जो पुरुष मजदूर को पांच रुपया और औरत मजदूर को चार रुपया देते हैं। श्रम विभाग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिये। लेकिन सरकार मजदूरों की मदद न कर ठीकेदार को बढ़ावा देती है। एच० ई० सी० के हड़ताल के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री सुबोध कान्त सहाय प्रधान मंत्री से मिले हैं। सरकार ने जो ऐग्रीमेन्ट कराया था वह भी नहीं दे

रही है। एच० ई० सी० में प्रोमोशन और एरियर देने के के बात पर यह हड़ताल है। जो चीज दोनों पार्टी मान गयीं हैं वह भी कारखाना नहीं दे रहा है। यह बहुत खराब चीज है। कल-कारखानों में बेरोजगारी बढ़ रही है ज्यादा-से-ज्यादा मशीन का उपयोग करने से…………

सभापति (श्री राज कुमार पूर्वे)—माननीय सदस्य श्री जमुना राम बोलें।

श्री जमुना प्रसाद राम—सभापति महोदय, सरकार द्वारा श्रम विभाग संबंधी जो मांग पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्या श्रीमती रमणिका गुप्ता और माननीय सदस्य श्री जमुना राम दोनों एक ही साथ बोल रहे थे जिससे कुछ भी स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ रहा था प्रतिवेदक टेबुल पर)।

श्री जमुना प्रसाद राम—सभापति महोदय, हमारी सरकार का प्रयास है कि मजदूरों को उचित मजदूरी मिले, साथ ही सरकार द्वारा कुछ ऐसी नीति अपनायी गयी है जिससे श्रमिकों का विकास किया जाय, श्रमिकों का उद्धार किया जाय। यह सरकारी नीति के प्रयास का ही फल है कि आज हर प्रखंड में श्रमिकों को उचित मजदूरी मिल रही है लेकिन फिर भी जरूरत इस बात का है कि श्रम विभाग की यह नीति होनी चाहिये कि वह श्रमिकों को अपने हक का ज्ञान कराय, उनके ज्ञान को विकसित कराये। आज हर प्रखण्ड मे श्रम विभाग के अधिकारी नहीं हैं। इसलिये हर प्रखण्ड में कम-से-कम एक श्रम निरीक्षक अवश्य रहे। इधर सरकार हर प्रखंड में मजदूरों के लिये एक प्रशिक्षण शिविर चलाने जा रही है यह बहुत ही उचित कदम है। इससे मजदूरों को जानकारी हो जायगी कि आजकल सरकार की क्या श्रम योजना है, मजदूरों के लिये सरकार का क्या विकास का कार्यक्रम है। इस शिविर में इन्हीं सारी बातों पर प्रकाश डाली जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जितनी सख्ती मे हमारी सरकार यह नीति बनायी है इसकी उतनी सख्ती से, जो इससे संबंधित मशीनरी है, लागू नहीं करवा रही है। सरकारी अधिकारियों को चाहिये कि इस नीति को उतनी ही सख्ती से सरजमीन पर उतारे जिससे मजदूरों की भलाई हो। इसमें खामियां हैं इसपर सरकार को ध्यान देना चाहिये। सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि शहरों में जो कल-कारखाने हैं और उनमें जो मजदूर काम करते हैं उनकी भलाई की ओर सब लोगों का ध्यान जाता है। उनकी भलाई की बात हम सब लोग करते हैं, इन मजदूरों की चिन्ता हमको, आपको और सबको रहती है लेकिन खेतिहर मजदूर की ओर

किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। आज इसका नतीजा यह है कि खेतिहर मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिल पा रही है। श्रम विभाग को इसपर ध्यान देना चाहिये। जो खेत में काम करनेवाले मजदूर हैं उनका आपस में कोई संगठन नहीं है, न कोई यूनियन है और न कोई उनके नेता हैं। लेबर इंसपेक्टर भी उनके दरवाजे पर जाकर उनके दुख-सुख के बारे में कुछ पूछताछ नहीं करते हैं। जबकि कल कारखाने के मालिक के साथ श्रम विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मिले रहते हैं और उनकी मदद करते रहते हैं। खेतिहर मजदूरों की हालत आज किसी से छिपी नहीं है। उनको कोई पूछनेवाला तक नहीं है। बंधुआ मजदूर पर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारी सरकार की नीति के अनुसार कुछ मजदूरों को लाल कार्ड दिया गया लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन लाल कार्डधारियों को अनाज मिल रहा है? आज गांवों में जो लोग काम करते हैं, प्रखण्ड में सड़कों पर जो काम करते हैं उनको अनाज नहीं दिया जाता है और वे भूख की ज्वाला से वहां से बाहर जाने में लग गए हैं। प्रखण्ड की सड़कों पर काम करनेवाले मजदूरों को अनाज नहीं दिया जाता है इस हालत में वे बाहर चले जाते हैं तो प्रखण्डवाले बाहर के मजदूरों से वहां का काम कराते हैं। इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

ग्रामीण बैंक हर इलाके में है। वहां चतुर्थ श्रेणी में काम करनेवाले जो कर्मचारी हैं वे वहां तीन वर्ष से, चार बर्ष से काम कर रहे हैं लेकिन आजतक उनको स्थायी नहीं किया गया। अत: उन्हें स्थायी किया जाना चाहिए। उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी गयी है। इस तरह उनका पेट काटा जा रहा है इसलिए इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा पेन्शन कार्यक्रम कल्याणकारी कार्यक्रम है जिसके अनुसार समाज के उनलोगों को जिनका आंसू पोछनेवाला कोई नहीं है, जिसको कोई पूछनेवाला नहीं है, जो अपाहिज हैं, बूढ़े हैं, विधवा हैं, वैसे लोगों को हमारी सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेन्शन दिया गया लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बहुतों को सामाजिक सुरक्षा पेन्शन नहीं मिल रहा है और मिल भी रहा है तो कुछ पैसे लेकर दिया जा रहा है। उदाहरणस्वरूप मैं कहना चाहता हूं कि पूर्णिया जिला के भरगामा प्रखंड के भटगामा ग्राम पंचायत में 23 अक्तूबर, 1981 को सामाजिक सुरक्षा पेन्शनधारियों से बीस-बीस रुपया, पच्चीस-पच्चीस रुपया से लेकर, पचास-पचास रुपया तक लेकर पेन्शन दिया गया।

में इसकी शिकायत लिखित रूप में पूर्णिया जिले के तत्कालीन 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रभारी मंत्री श्री रघुनाथ झा जी को की, उन्होंने भी आदेश दिया कि इसकी जांच कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अभीतक कोई कारंवाई नहीं की गयी जिसका परिणाम है कि वैसे लोगों का मनोबल और बढ़ गया और वे अब धड़ल्ले से बूढ़ों से, विधवाओं से, लूल्हों से, लंगड़ों से पैसा कमा रहे हैं। इसलिए मैं पुनः सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वहां जो घोटाला किया गया है इसकी जांचकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कारंवाई की जाय। उसी ग्रामपंचायत ने पुनः 5 जनवरी, 1983 को श्री लकड़ शर्मा पिता का नाम श्री बनवारी शर्मा, ग्राम वेसरिया पट्टी, ग्रामपंचायत भटगामा से पेन्शन देनेवालों ने 50 रुपये की मांग की जिसे देने से उसने इन्कार किया तो उससे कहा गया कि नहीं दोगे तो तुम्हारा नाम पेन्शनधारियों में से काट दिया जायगा। बड़ी मुश्किल से उसने 20 रुपया देकर पिंड छुड़ाया। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसे लोगों को पेन्शन देकर सहायता करना चाहती है लेकिन ऐसे-ऐसे सफेदपोश लोग सरकार में हैं और समाज में हैं जो इस तरह का अनैतिक कार्य करने में संलग्न हैं इसलिए वैसे लोगों के साथ सरकार को सख्ती के साथ निपटना चाहिए। हमारे राज्य में इस पेन्शन में कटौती कर दी गयी थी लेकिन मैं अपने मुख्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं, विलम्ब से हो सही लेकिन उन्होंने दो प्रतिशत से जो कम हो गया था उसको फिर से दो प्रतिशत कर दिया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बहुत-से ऐसे पदाधिकारी हैं जो लगन से इस काम को नहीं करते हैं, कायदा-कानून को ठीक से मेन्टेन नहीं करते हैं, वैसे पदाधिकारियों पर कारंवाई की जानी चाहिए।

इम्पलायमेंट एक्सचेंज की तरफ शिक्षित बेरोजगार लोग आंख लगाए रहते हैं। लेकिन वहां काम करने वाले लोग ऐसा पीक ऐंड चूज किया करते हैं जिसके चलते शिक्षित बेरोजगार परेशान रहते हैं इसलिए इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए और ऐसी कारंवाई की जानी चाहिए, कोई कायदा-कानून बना दिया जाना चाहिए जिससे वे लोग मनमानी न कर सकें और इसकी जांच भी की जाय और जो भी पदाधिकारी या कर्मचारी इसमें दोषी पाए जाएं उनके विरुद्ध कारंवाई की जानी चाहिए।

इन्हीं सारी बातों के साथ मैं, श्रम मंत्री द्वारा आय-व्ययक जो रखा गया है उसका, समर्थन करता हूं।

श्री गणेश प्रसाद सिंह—सभापति महोदय, आज इस सदन में माननीय सदस्य, श्री तुलसी सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव लाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस

कटौती प्रस्ताव का समर्थन में इसलिये करता हूं कि वर्तमान हुकूमत, वर्तमान मंत्रिमंडल, श्रम विरोधी है. श्रमिकों के, मजदूरों के पेट पर लात मारने का कार्य कर रही है। इसके अनेक उदाहरण हैं। आज ही "आज" नामक समाचार-पत्र में निकला है कि सीतामढ़ी के छोटे-छोटे बच्चे, जिन की उम्र आठ साल, दस साल, बारह साल की है, बिहार से बाहर जा रहे हैं, अपनी रोजी के लिये। ये बच्चे पटना जंक्शन पर भूखे पड़े हुए हैं।

सभापति महोदय, यह सरकार 20 सूत्री का ढोल पीटती है और कहती है कि हम मजदूरों के हित में काम कर रहे हैं, मजदूरों के हित की बातों का ऐलान करके मजदूरों को धोखा दे रही है। यह सरकार जो मजदूरों के हित की बात करती है, वह बिल्कुल गलत है। इतना ही नहीं आप देखेंगे, किसी भी शहर में चले जायं, बिहार राज्य से बाहर चाहे बम्बई हो, चाहे कलकत्ता हो, दिल्ली हो, इन शहरों में बिहार के छोटे-छोटे बच्चे सड़कों पर दिखाई देंगे। ये बच्चे अपनी रोजी के लिये, अपने पेट के लिये वहां की सड़कों पर मारे फिरते हैं। डूब मारना चाहिए इस सरकार को, आज बिहार की ऐसी स्थिति है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि भारत सरकार ने ईंट-भट्ठा मजदूरों के हित के लिये, उनकी स्वास्थ्य चिकित्सा के लिये, उनकी सुविधा के लिये नियम बनाया था और उस नियम के तहत बिहार सरकार को तथा अन्य राज्यों को निदेश दिया था कि ईंट-भट्टा मजदूरों के हित की बात करें, मजदूरों के हित में काम करें लेकिन वर्त्तमान सरकार ने, वर्तमान हुकूमत ने ईंट-भट्टा के मालिकों ने ट्रक मालिकों के सहयोग से इन मजदूरों के पेट पर लात मारा है। ईंट-भट्टा के मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की थी लेकिन साजिश करके उनकी हड़ताल तोड़वा दी गयी।

आज जो खेतिहर मजदूर हैं, जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, फैक्टरी में काम करने वाले मजदूर हैं, उनको उचित मजदूरी नहीं दी जाती है। यह सरकार इन मजदूरों के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है।

इसी तरह आज हमारे प्रांत में करीब 14 लाख शिक्षित बेरोजगार लोग हैं। प्रत्येक साल शिक्षित बेरोजगारों की की संख्या बढ़ती जा रही है, इस सरकार के पास इनको रोजगार देने के लिये कोई योजना नहीं है, इनकी कोई नीति नहीं है और न आगे के लिये ही इनके पास वैसी कोई योजना है जिससे इन शिक्षित

बेरोजगारों को काम मिल सके। पिछली कांग्रेसी सरकार की हुकूमत में, डा० जगन्नाथ मिश्र ने यह घोषणा की थी कि प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार को 50/रु० प्रतिमाह सांकेतिक भत्ता दिया जायगा और दिया भी गया लेकिन जब से श्री चन्द्रशेखर सिंह जी मुख्य मंत्री बने हैं, जबसे श्रम मंत्री, श्रीमती प्रभावती गुप्ता बनी हैं तब से यह सांकेतिक भत्ता बंद कर दिया गया।

शिक्षित बेरोजगार लोग जागे और उन्होंने हड़ताल किया, प्रदर्शन किया, सांकेतिक हड़ताल का, 1983 का भत्ते का भुगतान नहीं किया गया, 1984 का भुगतान हुआ। 1983 का बकाया है। सभापति महोदय, शिक्षित बेरोजगार लोग हैं जिनकी सख्या 14 लाख है। आपने शिक्षित बेरोजगार लोगों को ऋण देने के लिये घोषणा की थी लेकिन आपने 3 हजार लोगों के लिये ऋण मुहैय्या कराया है। मजदूर कितने बेकार हो रहे हैं और होते जा रहे हैं। गिरिडीह, हजारीबाग में मजदूरों की बहुत ही खराब स्थिति है। सभापति महोदय, मैं एक बात कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। मिनिमम वेजेज ऐक्ट की बात करता हू 1962 में बना, फिर बीच में सन् 1974-75 में संशोधन हुआ है। सरकार कहती है कि मिनिमम वेजेज लागू किया है लेकिन मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है। दूसरे जिले की हालत और भी खराब है, भूमि स्वामी और भूमिपति लोग हैं, वे मजदूरों का शोषण करते हैं, अंग्रेजों के समय की जो मजदूरी चली आ रही है एक सेर कच्ची वजन दे रहे हैं। और मजदूरी की मांग करते हैं और बात आगे बढ़ती है तो आप के पदाधिकारी उस एरिया को नक्सलाईट घोषित करते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहता हूं कि आज यह हर जगह आग सुलग रही है और इस आग में यह हुकुमत नष्ट हो जयगी। मजदूरों के आग में नष्ट हो जायगी। सभापति महोदय, एक सवाल और है और वह यह है कि गरोल चीनी मिल वालों की मजदूरी अबतक का बकाया है, ग्रेचूटी बकाया है लेकिन सरकार अपने कान में तेल डाले सोई हुई है इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी श्रमिक नीति गलत है। इन्हीं शब्दों के साथ मे अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मदन मोहन चौधरी—सभापति महोदय, श्रम और रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर जो मांग सदन में रखी गयी है उसका मैं समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, इसके कल्याण के लिये कांग्रेसी सरकार ने इस प्रदेश में चाहे वह खेतिहर मजदूर हों, चाहे वह कलकारखाने के मजदूर हों, चाहे वह छोटे उद्योग

में काम करनेवाले हों उनके कल्याण के लिये जो योजना चलाई गयी है और चलायी जा रही है वह बेमिसाल है। सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य जो विरोधी बेन्च पर बैठे हुए हैं पान्डेय जी से आग्रह करना चाहता हूं टाटा के संबंध में जो टाटा के मजदूरों के लिये हाउस में आंसू बहाते हैं तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने टाटा मजदूरों के लिये कौन-सी कुरबानी की है

सभापति जी, ये पांडेय जी उनके लिये सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। ये प्रबंधन से भी मिलते हैं।

यह इंडियन नेशनल कांग्रेस का इतिहास है, आई०एन०टी०यू०सी के माध्यम से आपको पता होगा कि 1885 में हमलोगों ने मजदूरों के लिये लड़ाई लड़ी थी। आपका नाम हिन्दुस्तान के नक्शे पर उस समय कहां था? इसलिये मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चहता हूं कि आप उनके लिये घड़ियाली आंसू न बहायें।

(सदन में शोरगुल)

मैं विरोधी दल के सदस्यों को कहना चाहता हूं कि आप जब कभी भी उनके बीच में जांय तो सरकार ने उनके लिये जो काम किया है उसको आप बतावें कि तुम्हारा हिस्सा ये है, वो है। अपना हिस्सा लो।

सभापति जी, आपने देखा होगा कि इस प्रदेश नें बेरोजगारी भत्ता का श्रीगणेश किया है। शिक्षित बेरोजगारो को 50 रु० प्रतिमाह दिया है। वृद्धा पेंशन भी चालू किया है। आप भी जानते हैं कि हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश में कमजोर वर्ग के लिये जिनको भोजन नहीं मिलता है, उनकी हालत बदतर है, ऐसा काम नहीं किया गया है। वृद्धा अवस्था पेंशन भी यहां पर 30 रु० प्रतिमाह दिया जाता है। हमारी सरकार ने कृषि में लगे हुए मजदूरों के लिये भी न्यूनतम मजदूरी तय कर दी है।

सभापति—अब माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

श्री मदन मोहन चौधरी—यह कैसे? हमारा समय बर्बाद किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में चाहे वह खेत में काम करने वाला मजदूर हों, या कारखाने में काम करने वाला हो, सभी की भलाई का कार्यक्रम चलाया है। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि नियोजन विभाग जो सरकार का है और खासकर इम्पालईमेन्ट एक्सचेन्ज में बड़ी जोरों की धांधली चल रही है। वहां के अफिसर गरीबों के साथ अन्याय करते हैं। वहां पर गरीबों को नोकरी मिलनी चाहिये

तो उसका नाम नहीं भेजकर पैसा लेकर अमीर लोगों का नाम भेजता है। ऐसे आफिसर को वहां से हटा देना चाहिये।

श्री कृपाशंकर चटर्जी—सभापति महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव सदन में पेश किया गया है उसके समर्थन में मैं बोल रहा हूं।

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री राजो सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, श्रम एवं नियोजन विभाग का जो प्रगति प्रतिवेदन है वह किसी माननीय सदस्य को मिला है और किसी माननीय सदस्य को नहीं मिला है। आप ऐसी व्यवस्था करा दीजिये कि सबलोगों को मिल जाय और हमलोग उसको देख तो लें।

श्री कृपाशंकर चटर्जी—उपाध्यक्ष महोदय, बहुत मुश्किल से हमको समय मिला है आखिर में। कृपया हमको थोड़ा समय दीजियेगा। अभी इस राज्य में ऐसी परिस्थिति है कि चारों ओर कल-कारखानों में तालाबंन्दी चल रही है। दरभंगा जिला में ठाकुर पेपर मिल बन्द है, समस्तीपुर में अशोक पेपर मिल बन्द है, कटिहार में जूट मिल बन्द है, धनबाद में तानेजा रिफैक्ट्री बन्द है, रांची में एच० ई० सी० में हड़ताल है। बजना रिफैक्ट्री, तिरसा बन्द है, चिरकुंडा रौलिंग मिल बन्द है, नागरथ रिफैक्ट्री बन्द है। कुमारधुबी इंजिनियरिंग वर्क्स बन्द है, रोहतास इंडस्ट्रीज बन्द है, इसी तरह से अनेक फैक्ट्रियों में तालाबन्दी चल रही है। पूरे बिहार के पैमाने पर देखियेगा तो ऐसा मालूम होगा कि यह तालाबन्दी का युग है। आज लेबर डिपार्टमेंट के मंत्री हों चाहे सचिव हों, चाहे लेबर कमिश्नर हों, चाहे लेबर सुपरिन्टेंडेंट हों, चाहे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हों, कोई ठीक से फंक्शन नहीं करता है, लेबर मंत्री जी का आज कोई फंक्शन नहीं है, इनको कुछ भी जानकारी नहीं है। हमको लगता है कि यह जो मिनिस्ट्री बनी है उसमें लेबर मिनिस्टर से लेकर लेबर डिपार्टमेंट के एक दो अफसर को छोड़कर किसी को इस विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिफैक्ट्री उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं।

जहां एक ओर सरकारी उद्योग है, वहीं दूसरी ओर प्राइवेट घराना का उद्योग है। लेकिन एक तरफ सरकार के नियंत्रण में भंडारीदह रिफैक्ट्री में कुछ वेतन है और उसी जगह प्राईवेट रिफैक्ट्री में दूसरा वेतन है जबकि सुप्रीम कोर्ट का इस सबंध में जजमेंट है कि पैरिटी आफ दी वेजेज होना चाहिये, एक काम के लिये एक वेतन होना चाहिये। आज पूरे बिहार में रिफैक्ट्री में दो लाख मजदूर काम करते हैं। सरकार के नियंत्रण

में भी रिफैक्ट्री है, कुछ जगह 342 रुपया मिनिमम वेतन मिलता है और कुछ जगह सात रुपया और अभी ग्यारह रुपया हुआ है। फिर भी भंडारीदर का वेतन नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट में मैं समझता हूं कि एक ही पोस्ट के लिये दो किस्म का वेतन नहीं होगा। पूरे बिहार में हार्ड कोक में एक लाख मजदूर काम करते हैं। एफ० सी० एल० एव बी० सी० सी० एल० में काम करने वाले मजदूरों को पचीस रुपया पर डे मिलता है वहां हार्ड कोक भाटा प्राईवेट में कहीं छः रुपया, कहीं आठ रुपया और कहीं दस रुपया मिलता है। यह अन्तर क्यों है? मंत्री जी क्या करते हैं? क्यों नहीं इन दोनों के लिये वेज बोर्ड बनाती हैं? यदि आप से यह नहीं होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दीजिये, स्टट के अन्दर क्यों रखे हुए हैं? आज तक उनके प्राविडेंट फंड के लिये बिहार सरकार कुछ तय नहीं कर सकी है। जब से कांग्रेस (आई) की सरकार आयी है तब से स्थिति और बिगड़ी है। पहले जीनेश जो मन्त्री थे तो हमने देखा कि धनबाद जिला के जो ठीकेदार हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं उनको कमिटी में रखा गया। उसके बाद नवाब नसीरूद्दीन हैदर खां मंत्री बने। अभी तो लगता है कि श्रम विभाग में कुछ नहीं है। देवघर में लेबर सुपरिन्टेंडेंट कुछ काम नहीं करता है। उसके पास कोई मिनिमम वेजेज का मामला लेकर जाता है तो वह उसको डांटता है। कटिहार में लेबर सुपरिन्टेन्डेंट के ऑफिस में ताला बन्द है, डालमियानगर लेबर सुपरिन्टडेंट के ऑफिस में ताला बन्द है। धनबाद में मिश्रा जी लेबर-कमिश्नर आये थे। अमौना के सीमेन्ट फैक्ट्री के मालिक के साथ उनकी सांठ-गांठ है। वे रात में फैक्ट्री के मालिक के घर गये और उनसे माल-पानी लेकर उसके पक्षधर बन गये। असिसटेन्ट लेबर कमिश्नर मालिक की गाड़ी में चढ़कर बोनस का फैसला करने आ रहा था। मैंने रास्ते में उसको पकड़ा और कहा कि मालिक की गाड़ी में बैठकर तुम क्या फैसला करोगे, इसलिये गाड़ी से उतरो। उसके बाद वह गाड़ी से उतर गया और बस से गया। अभी माननीय सदस्य श्री शमामले नवी आप टाटा बिड़ला के दोस्त हैं, मजदूर के दोस्त नहीं हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि टाटा-बिड़ला के दोस्त आप हैं, आप मजदूर विरोधी हैं। अभी माननीय सदस्य श्री जयकुमार पालित बोल रहे थे कि लाठी-गोली से हमलोग दबने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि लाठी-गोली से यदि आप डरने वाले नहीं हैं तो मजदूर भी लाठी-गोली से डरने वाले नहीं हैं। यदि मजदूर लाठी-गोली से डरता तो चीन और रूस में मजदूरों की सरकार कैसे बनती?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—आप वेस्ट बंगाल जाइये। वहां का सी० पी० एम० सरकार टाटा-बिड़ला के पाकेट में है।

श्री कृपा शंकर चटर्जी—यदि सी० पी० एम० टाटा-बिड़ला के पाकेट में है तो आप (कांग्रेस) उसके पेट में हैं, उसके पेट से पैदा हुए हैं। आप अंग्रेज के पैदाइश हैं। आपका प्रेसिडेंट लोर्ड ह्यूम था।

उपाध्यक्ष महोदय, आज कुमारधुबी का जो मामला है उसको सब जानते हैं। बड़े-बड़े अधिकारी भी यहां बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी, अपने जबाब के समय बतलायेंगे कि जब कोई कारखाना बन्द होता है तो क्लोजर के अन्दर ही होता है न, लोक आउट के अन्दर नोटिस होता है। कुमारधुबी क्यों बन्द हुआ और बन्द में हाजिरी क्यों ली गई। कौन-सा कानून के अनुसार ऐसा हुआ। अगर हाजिरी लिये हैं तो उनके वेतन के लिये क्या कर रहे हैं? कम-से-कम उस मजदूर को तो आपको देखना चाहिए। आपने कहा था कि उनके बेटे को नौकरी देंगे, आप ने कहा था कि मर गया है तो उसके डिपेन्डन्ट को नौकरी में रखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मजदूरों का मनोबल गिरेगा और कल-कारखाने के काम में ह्रास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री महेन्द्र नारायण झा (बाबू बरही)—उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री द्वारा जो मांग सदन में पेश की गई है, उसका मैं समर्थन करते हुए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बिहार राज्य में जैसा हमारे कुछ मित्रों ने कहा—

(इस अवसर पर कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे—शोरगुल के बीच इनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ी)।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करने जा रहा था कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधान मन्त्री ने 15 अगस्त, 1983 को पूरे देश में श्रम की महत्ता देते हुए ऐतिहासिक नारा दिया था और इसके लिये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया था। लेकिन हुजूर, हमारे राज्य में 70 लाख खेतिहर मजदूर हैं—प्रखंडों में अभी भी जितने सामान्य विचार के लोग हैं, खेतिहर मजदूरों पर ये जुल्म ढा रहे हैं। सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिये।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रम और नियोजन विभाग का ताल-मेल दूसरे विभाग से होना चाहिये। जैसे उद्योग विभाग है इसका ताल-मेल श्रम विभाग से होना जरूरी है। कल आपने देखा होगा कि अशोक पेपर मिल के हजारों मजदूर बेरोजगार हैं और इसमें दोनों विभाग के पहल करने से ही औद्योगिक अशांति समाप्त की जा सकती है।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। आपने नियम और कानून से दो प्रतिशत लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेन्सन देकर बांध दिया। यह बहुत खुशी की बात है कि हमारी कांग्रेस आई की सरकार ने इसे लागू किया, लेकिन यह जो दो ही प्रतिशत लोगों को दिया जा रहा है, इस बंधन को समाप्त करना चाहिये। और बहुत से ऐसे भूमिहीन, विधवा बच गये हैं जिन्हें पेन्सन स्वीकृत नहीं किया गया है। इसलिये मेरा आग्रह है कि जो लोग छूट गये हैं, उनलोगों को पेन्सन दिलाने की व्यवस्था की जाय।

श्री कर्पूरी ठाकुर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये सिर्फ तीन मिनट के वास्ते बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं कल हटिया गया था, जहाँ 16 दिनों से 17 हजार मजदूर हड़ताल पर हैं। अब तक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 9 करोड़ 7 लाख रुपये का उत्पादन घाटा हो चुका है, प्रोडक्शन लौस हो चुका है। आपको स्मरण होगा कि मुख्य मंत्री ने कहा था कि समझौता वार्ता के द्वारा मजदूरों की मांगों पर विचार करके हड़ताल समाप्त कराने का प्रयास करेंगे। आज 16 वां दिन हड़ताल का हो गया है, अभी तक हड़ताल खत्म नहीं हुआ है। मजदूरों का कुल 19 मांगे हैं। मैंने इन मांगों पर गौर किया है और मैं यह कह सकता हू कि अगर मजदूरों की सारी मांगों की पूर्ति कर दी जायगी तो मात्र 1 करोड़ 40 लाख रुपया से ज्यादा सरकार का खर्च नहीं होगा।

यानी 9 करोड़ 60 लाख रुपये का घाटा हो चुका है उत्पादन के मद में। मगर 1 करोड़ 40 लाख रुपया सरकार खर्च करने को तैयार नहीं है, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस बात को यहां के सभी लोग और सरकार भी जानती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और खासतौर से श्रम मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इसके लिये यदि कुछ बात करनी पड़े विभाग और श्रमिक नेता से करके उनके मांगों की पूर्ति कराकर हड़ताल खतम कराये। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि मुक्तापुर में तीसरे साल वहां के मैनेजमेंट ने बिना किसी वजह के मिल को लौक आउट कर दिया जिससे कि कारखाना बंद हो गया। समस्तीपुर के कलक्टर और श्रम अधीक्षक ने बिहार सरकार के श्रम विभाग को पत्र लिखा कि वहां का मैनेजमेंट नाजायज ढंग से लौक आउट कर दिया है। वहां के मजदूरों की मांग है कि उनके मामलों को रेफरेंस में भेजा जाय, ट्रिब्यूनल में भेजा जाय। जो भी ट्रिब्यूनल का फैसला होगा वह वहां के मजदूरों को मान्य होगा। इसमें सरकार को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। क्योंकि दो साल पहले वहां के कलक्टर और श्रम अधीक्षक की अनुशंसा

के बावजूद भी उस मामले को रेफरेंस में नहीं भेजा गया, सरकार इस मामले को रेफरेंस में भेजकर इस विवाद को समाप्त करे। तीसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि राज्य के 30 से 35 हजार मजदूर जो वर्षों से काम में लगे थे वे आज बेकार बैठे हैं सरकारी कारखाना बंद होने के कारण। आज राज्य में अनेक कारखाना बन्द हैं जिसको सदन और सरकार भी जानती है। मैं मांग करता हूं कि जो मजदूर पहले कार्यरत थे उनको सरकार ले ले ताकि उनकी बेकारी की समस्या दूर हो जाय। बिहार के पूरे बंद कारखाने को खुलवाने का सरकार इन्तजाम करे ताकि वहां का उत्पादन बढ़े और राज्य का विकास हो, तेजी से विकास हो और मजदूरों को भी रोजी-रोटी मिल सके और उनके परिवार के लोगों को खाना-कपड़ा मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती प्रभावती गुप्ता—उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्य चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों वे अपने विचार व्यक्त किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि 18 वीं सदी के पूर्वार्द्ध में जब ग्रेट ब्रिटेन में इन्डस्ट्रीयल रिभोलछुशन हुआ था उसके बाद मशीन का युग प्रारम्भ हुआ, उसके बाद से पश्चिमी देशों में श्रमिक संगठन बने और श्रमिक आन्दोलन शुरू हुआ। भारत में भी आजादी के बाद या उसके कुछ पहले भी श्रम संगठन बने और श्रम आंदोलन में गति मिली, जागरण आया। बहुत-से माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें कहीं, मैं उसका लोभ संवरण नहीं कर सकती लेकिन इतनी बात कह सकती हूं कि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें पहले हमारे विरोधी दल के नेता श्री कर्पूरी ठाकुर भी थे और उसके तिरंगा झंडा के नीचे उन्होंने भी इंटक के साथ श्रम आन्दोलन किया, उसमें तेजी लाया।

श्री कर्पूरी ठाकुर—जब कांग्रेस का इंटक बना उसके पहले में पहले मैं कांग्रेस छोड़ दिया था।

श्रीमती प्रभावती गुप्ता—हो सकता है आप उस समय नहीं हों। लेकिन यह बात सबों को मालूम है कि श्रम संगठन, श्रम आन्दोलन में वह शक्ति है जिससे किसी राज्य का या किसी भी देश का विकास हो सकता है। चाहे वह खेतिहर मजदूर हों या कारखाना में काम करनेवाले श्रमिक हों। जहां कहीं भी काम करनेवाले श्रमिक हों, बिना उसके संगठन के, बिना श्रम आन्दोलन के चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो या खेती के क्षेत्र में हो, हरित क्रान्ति नहीं आ सकती है। इसके महत्व को समझते हुए हमारे प्रधान मंत्री ने अपने बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 5 और 6 में न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में, मजदूरों की भलाई के सम्बन्ध में बातें कहीं है जिसकी चर्चा माननीय सदस्य

श्री महेन्द्र नारायण झा जी ने भी की है। बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के माध्यम से से हम मजदूरों में आर्थिक जागरण करना चाहते हैं। इस दो विन्दु पर प्रधान मंत्री ने काफी बल दिया है। मैं कहना चाहती हूं कि हमारे दल को प्रधान मंत्री द्वारा चलायी गयी श्रम नीति म अटूट विश्वास है। प्रधान मंत्री निम्नतम मजदूरी को लागू करने में काफी सचेष्ट हैं। मैं कहना चाहती हूं कि हमारा पार्टी, हमारा प्रधान मंत्री श्रमिकों के लिये सतत प्रयत्नशील हैं। हमारे दल और हमारे विभाग का श्रमिकों के सम्बन्ध में एक नारा है :—

"श्रमे जयते नामजित, श्रमेण पंथ वितको दे वधानाम्"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं न तो श्रमिक नेता हूं और न ही कभी श्रमिक संगठन में काम करने का मौका मिला है। एक बार मुझे यों ही लोगों ने चकिया सुगर मिल में चेयरमैन बना दिया था, यह बात दूसरी है। लेकिन मैं भी इस विधान सभा में लगातार वर्षों से हूं और गरीब लोगों की, मजदूरों की, महिलाओं को जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, उसको आवाज यहां तक पहुंचाने की कोशिश करती रही हूं। हमारे माननीय सदस्य तालाबन्दी की बात करते हैं, स्ट्राइक की बातें करते हैं। डालमियानगर की तो एक बहुत लम्बी और पुरानी गाथा ही है। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगी कि चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के इसमें सहयोग करें ताकि उद्योग में उत्पादन हो सके। मैं डालमियानगर गयी थी और वहां कर्पूरी जी भी थे और वहां के गोपाल बाबू वगैरह भी थे और हमलोगों ने कोशिश की है कि रोहतास इंडस्ट्रीज खुले। हमारे मुख्य मंत्री से भी बातें हुई हैं इस सम्बन्ध में। रोहतास इंडस्ट्रीज खुलेगा, लेकिन बिजली की कमी है, कुछ फाइनान्सियल दिक्कतें भी हैं लेकिन सरकार ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आश्वासन दिया है कि उसे सरकारीकरण किया जायगा।

ए० सी० सी० के बारे में कर्पूरी जी ने कहा कि 17 हजार मजदूर बेकार हो गये हैं और वे हड़ताल पर है, तालाबन्दी है। हमलोग इसकी व्यवस्था करेंगे कि यह जल्द-से-जल्द चालू हो जाय और इसमें आप का सहयोग वांछित है। उसी तरह खेतिहर मजदूरों के लिये भी सरकार बहुत कल्याणकारी कार्य कर रही है और अपने बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत बहुत से कदम उठाये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के जमाने म भी और चन्द्रशेखर बाबू के जमाने में भी भिखमंगे या गरीब जिनके तन पर वस्त्र नहीं हैं, और जाड़ में ठिठुरते हैं, उनको कपड़े

बांटे गये। बेकारी भत्ते के रूप में गांवों के लाचार महिलाओं के दिये गये। हमारी सरकार ने विकलांगों को, वृद्ध महिलाओं का पेंशन देने की व्यवस्था की। यह बात सही है कि ऐसे लोगों को पेंशन मिले, जिनको नहीं मिलना चाहिये था, उसकी जांच-पड़ताल भी की गयी है। पूरे हिन्दुस्तान में किसी राज्य में इतने पेंशन की व्यवस्था नहीं हुई है, जितना हमारे राज्य में हुआ है।

मैं अपने विभाग में एक व्यवस्था की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता है, वह है समझौता तंत्र। बहुत ही अच्छे ढंग के तंत्र है, जो मजदूरों और मालिकों के बीच समझौता कराकर मामले का निपटारा करा देता है। इस तरह से पाया गया है कि बरौनी में, टिस्को में, बोकारो में यह तंत्र बहुत अच्छा काम किया है और हड़ताल और ताले बन्दी से उद्योग को बचाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग का 14 जुलाई का एक सर्कुलर है, उसके अनुसार श्रमिकों के कल्याण के लिये, उनके मनोरंजन के लिये कुछ कल्याणकारी कार्यक्रम अपनाया है। साथ ही श्रमिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। उपाध्यक्ष महोदय, बंधुआ मजदूरों के लिये अगर यह साबित हो जाता है कि वह बन्धुआ मजदूर हैं तो उसके लिये चार हजार रुपये अनुदान दिये जाते हैं ताकि वे अपनी व्यवस्था कर सकें, जिसमें दो हजार राज्य सरकार के हैं और दो हजार केन्द्र सरकार के हैं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रवासी अधिनियम के अन्तर्गत हमने श्रम विभाग के द्वारा 2 अक्तूबर, 1981 से ही एक जिलाधिकारी को स्थापित किया और मिर्जापुर में 25 बच्चों को कालीन बनाने के लिये भेजा गया है। प्रवासी अधिनियम में इस बात का प्रावधान है कि बिना लाइसेंस के कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत बहुत सारी महिलायें भी आती हैं। खासकर आदिवासी महिलाये जिनका शोषण किया जाता है उसके लिये भी हमने 34 निरीक्षकायें बहाल करने का निर्णय किया है जिसमें 13 की नियुक्ति की जा चुकी है। ये उनके कल्याण को देखरेख करेंगे। प्रवासी अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिये रेस्क्यू स्क्वायड बनाया गया है जो जाकर देखेगी कि लोगों पर अत्याचार न हो, ज्यादती नहीं हो। जो हमारे श्रम सचिव हैं वे भी मिर्जापुर गये थे जहां 34 बच्चों को पुनर्वासित करना था।

उपाध्यक्ष महोदय, और भी बहुत सारी कल्याणकारी योजनायें हैं जिसमें एक योजना ई० एस० आई० स्कीम की है। जब कोई कर्मचारी बीमार पड़ेंगे तो उनको इससे सहायता मिलेगी। एक हजार रुपये से अधिक वेतन पानेवाले कर्मचारियों के लिये भी यह लागू किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की श्रम नीति सर्वोन्तोमुखी है और श्रमिकों के कल्याण के लिये है। हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह घोषणा की है कि उद्योगों में प्रबंधन के साथ श्रमिकों की भी भागीदारी होगी और इसको हमारी सरकार लागू करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी दूर करने के सम्बन्ध में हमारी सरकार काफी सजग है। ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम और भूमिहीन गारंटी नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत हम ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान कर रहे हैं। एक और बात है अभी तक औद्योगिक मजदूरों को ही अनुदान दिया जाता था लेकिन अब जो हमारे ग्रामीण मजदूर हैं उनको भी अनुदान दिया जाता है और हर जिला अधिकारी के पास यदि कोई राजपत्रित पदाधिकारी, या सांसद या विधायक लिखकर दे दे कि इसका अंग भंग हो गया है या फलां मर गया है तो मरने की हालत में दो हजार रुपये और दुर्घटनाग्रस्त होने पर एक हजार रुपया दिया जाता है। यह एक अनूठी योजना है और कल्याणकारी योजना है जो खेतिहर मजदूरों के कल्याण के लिये है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बिहार के अन्दर एक नियोजन प्रशिक्षण विभाग भी है। इसके अंतर्गत आई० टी० आई० चलता है। महिलाओं के लिए भी दो आई० टी० आई० हैं जो एक रांची में है और दूसरा पटना में है। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो हमारे आई० टी० आई० हैं इनका हम आधुनिकीकरण करेंगे और शीघ्र ही इसमें और नये-नये व्यवसाय जैसे कोल माइनिंग, टी० वी०, वाडियो, इलेक्ट्रोनिक्स आदि चालू किए जायंगे। जैसाकि हमारे चटर्जी साहब ने कहा हम इस बात को जरूर देखेंगे कि वहां पर ठीक तरह से काम हो, न्यायपूर्ण ढंग से और ईमानदारी से काम हो। उपाध्यक्ष महोदय, समय कम रह गया है इसलिए एच० ई० सी० के बारे में मैं कहना चाहती हूं। हमारे विरोधी दल के नेता, श्री कर्पूरी ठाकुर जी का मैं बहुत सम्मान करती हूं, आदर करती हूं और उस लिहाज से मैं उनसे कहना चाहती हूं कि एच० ई० सी० के लिए हमारी वार्ता लगातार हो रही है। मैं खुद भी रांची गई थी और मैंने जाकर वहां लोगों से बात की है। मैं इस समस्या को समझती हूं। एच० ई० सी० केन्द्रीय सरकार का प्रतिष्ठान है फिर भी हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और इस समस्या का हल करायेंगे। इससे पूर्व भी एक बार हड़ताल हुई थी। इसके साथ ही मैं कहना चाहती हूं कि छोटानागपुर के अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जो प्रतिष्ठान धनबाद, हजारीबाग, रांची में हैं सब जगह औद्योगिक शांति है। जहां बरतन बहुत अधिक होता है वहां कुछ खनकता भी है। हमें खुशी है हम इस हड़ताल को

खत्म करायेंगे, में आश्वासन देती हूं। हमारी वार्ता चल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगी कि वे अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लें, क्योंकि श्रम विभाग जागरूक है और यह श्रमिकों के कल्याण के लिए है, बेरोजगारों के हित के लिए है, सर्वोन्मुखी है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कई माननीय सदस्यों ने कई तरह की बातें उठायीं, मा० सदस्य श्री तुलसी सिंह ने कहा कि अभी भी यहां पर राज्य परामर्शदातृ समिति का गठन नहीं किया गया है, लेकिन में उनको बतलाना चाहती हूं कि तीन महीना पहले 7-8 साल के बाद पहली बार राज्य परामर्शदातृ समिति का गठन हो गया है, मैं उसकी बैठक भी बुलाई थी, लेकिन किस कारणवश यह बैठक नहीं हो सकी, यह सरकार का महान उपलब्धि है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहती हूं कि हमारी जो श्रम विभाग की समितियाँ है, वे काफी सचेष्ट हैं, काफी जागरूक है, काफी सक्रिय हैं और काफी क्रियाशील हैं। हमलोगों ने इसकी मिटिंग भी की है, इसकी सब-कमिटी भी हमने बनाई है, सब-कमिटी में 2·3 महिलायें भी सदस्य हैं, ये महिलाय महिलाओं की समस्याओं को विशेष रूप से देखेंगी और इसका निराकरण करेंगी। इसके अतिरिक्त और भी अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम हमारे हैं। कई माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातों को उठाया है, मैं उनको आश्वस्त करना चाहती हूं कि मैं उनके भाषण का भाषणवाईज उत्तर समयाभाव के कारण नहीं दे सकती हूं, लेकिन आपके द्वारा दिए गये भाषण को प्रोसिडिंग से देख लूंगी और जहाँ तक हो सकेगा, उसका समाधान करने की चेष्टा करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय सदस्य श्री तुलसी सिंह से अनुरोध करूंगी कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य श्री तुलसी सिंह, क्या आप अपने कटौती प्रस्ताव को वापस लेंगे ?

श्री तुलसी सिंह—जी, नहीं।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

"इस शीर्षक की मांग 10 रु० से घटाई जाय।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

प्रश्न यह है कि :

"श्रम और रोजगार" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी

पूर्ति के लिए 22,01,00,000 (बाइस करोड़ एक लाख) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

"प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।"

निवेदनों के सम्बन्ध में सूचना।

उपाध्यक्ष—38 निवेदन हैं, यदि सभा की राय हो तो इसे सम्बन्धित विभाग को भेज दिया जाय।

(सभा की राय संबंधित विभाग को भेजने के लिए हुई।)

सभा की बैठक सोमवार, तिथि 25 अगस्त, 1984 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।

पटना :
दिनांक 24 अगस्त, 1984 ई०।

विमलेन्दु नारायण सिन्हा,
सचिव,
बिहार विधान सभा।